रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112022-240373
CG-DL-E-17112022-240373

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944
No. 587] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

मि.सं. 18-12/2022-बी.यू.एस.एस सोवा-रिग्पा - स्नातक शिक्षा हेतु न्यूनतम मानक (सोवा-रिग्पा यू जी एम एस ई).—भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 55 की उप धारा (2) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा निर्धारित (सोवा-रिग्पा स्नातक चिकित्सा शिक्षा हेतु न्यूनतम मानक) विनियमन, 2017 में किसी प्रकार के अधिक्रमण (अनुचित उपयोग) से पहले तथा छुट गए कार्यों के लिए, आयोग निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करती है, अर्थात्:-

1. प्रारंभ एवं संक्षिप्त शीर्षक - (1) इन विनियमों को **भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सोवा-रिग्पा शिक्षा का न्यूनतम मानक) विनियम, 2022** कहा जायेगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगे ।

2. परिभाषाएँ :- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ के अतिरिक्त अन्य आवश्यकता या अपेक्षा न हो ।

(i) "अधिनियम"- का अर्थ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) अभिप्रेत है।

(ii) "अनुलग्नक" का अर्थ इन अधिनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र ।

(2) यहां प्रयुक्त (शब्द- वाक्य) को परिभाषित नहीं किया गया लेकिन अधिनियम में प्रयोग किये परिभाषित शब्दों और वाक्यों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. बैचलर ऑफ सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोग्राम- बी.एस.आर.एम.एस. (सोवा-रिग्पा औषधी एवं शल्य स्नातक कार्यक्रम)- बैचलर ऑफ सोवा-रिग्पा एजुकेशन(सोवा-रिग्पा में स्नातक शिक्षा) सोवा-रिग्पा स्नातक स्तरीय कार्यक्रम में (चिकित्सा विज्ञान) के गहन ज्ञान के साथ ही समकालीन (चिकित्सा पद्धति) का ज्ञान प्रदान किया जायेगा । स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को एक कुशल चिकित्सक और सर्जन(शल्य-शालाक्य) के रूप में स्थापित करने हेतु उन्हें व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ-साथ आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी प्रगति के ज्ञान से अवगत कराया जायेगा ।

4. प्रवेश के लिए योग्यता - (1) सोवा-रिग्पा में स्नातक शिक्षा (सोवा-रिग्पा औषधी एवं शल्य स्नातक कार्यक्रम) में प्रवेश लेने की योग्यता निम्नानुसार होगी: -

(ए) (i) प्रवेशार्थी को संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार के शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10 + 2 विज्ञान में (भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान) विषय के साथ न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होना चाहिए या किसी राज्य में अन्य धाराओ में मान्यता प्राप्त 10 + 2 सामन्य वर्ग में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चालीस प्रतिशत होना अनिवार्य होगा ।

(ii) राज्य सरकार या केंद्र सरकार के शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त भोटी भाषा, बौद्ध दर्शन और तर्क शास्त्र के साथ 10+2 या समकक्ष योग्यता प्राप्त प्रवेशार्थी सामन्य वर्ग पचास प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चालीस प्रतिशत अनिवार्य होगा । या

(iii) विदेशी उम्मीदवार के लिए किसी भी विश्वविद्यालय या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित समकक्ष योग्यता ।

(बी) प्रवेशार्थी को बी.एस.आर.एम.एस. (स्नातक कार्यक्रम के पहले वर्ष) तब तक प्रवेश की अनुमती नहीं दी जायेगी जब तक वह कार्यक्रम में पहले वर्ष में अपने प्रवेश के वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले सत्रह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।

(2) राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा: - (ए) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्नातक स्तर में प्रवेश हेतु सभी सोवा-रिग्पा चिकित्सा संस्थानों के लिए "भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एक राष्ट्रीय स्तर पर सोवा रिग्पा पात्रता- प्रवेश परीक्षा (एन.सी.आई.एस.एम. -एन.ई.ई.टी एस.आर यूजी) आयोजित करेगी । जिसका आयोजन भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय आयोग द्वारा नामित एक प्राधिकरण या संस्थान या एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

(बी) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित सोवा-रिग्पा राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा में: (एन.सी.आई.एस.एम.-एन.ई.ई.टी एस.आर यूजी) सामन्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक चालीस प्रतिशत होंगे।

(3) योग्य उम्मीदवारों का चयन सोवा-रिग्पा के लिए आयोजित की गई सोवा-रिग्पा राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, एन.सी.आई.एस.एम.-एन.ई.ई.टी एस.आर यूजी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार की योग्यता सूची से स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

(4) सोवा- रिग्पा औषध एवं शल्य स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग की सुविधा प्रदान की जायेगी जिसके लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा सोवा-रिग्पा एक केन्द्रीय काउंसलिंग समीति (एस.आर.सी.सी.) का किया गठन जाएगा जो प्रवेश हेतु राज्य अनुसार आरक्षण नीति आदि के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित करेगी ।

(5) (i) उपर्युक्त नियम के अतिरिक्त अन्य किसी को भी सीधे प्रवेश की अनुमती नहीं दी जायेगी।

(ii) समस्त संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में प्रवेश दिए गए छात्रों की सूची कट-ऑफ की (अंक तालिका मानक) निर्धारित दिनांक पर शाम 6 बजे या उससे पहले सूचित या प्रस्तुत करें। प्रवेश के, सत्यापन हेतु समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देशों को पालन सुनिश्चित करना होगा ।

(iii) प्रवेश प्राप्त छात्रों की अनुमोदित सूची के सत्यापन के बाद प्रत्येक छात्र या छात्रा को विशिष्ट आयुष आई.डी. आवंटित की जाएगी जो उन्हें भविष्य में समस्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पहचान संख्या होगी।

(iv) विश्वविद्यालय उन सभी उम्मीदवारों को प्रवेश देना होगा जिन्हें काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया गया है।

(6) कोई भी प्रवेशार्थी जो निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में असफल रहा है, उसे वर्तमान शैक्षणिक सत्र के स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(7) किसी भी उम्मीदवार को, जो इस विनियम के तहत न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(8) प्रवेश के संबंध में इन विनियमों में निर्धारित मानदंड या प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर कोई भी प्राधिकरण या संस्थान किसी भी उम्मीदवार को स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा और उक्त मानदंड या प्रक्रिया के उल्लंघन में किए गए किसी भी प्रवेश को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

5. बी.एस.आर.एम.एस. पाठ्यक्रम कार्यक्रम की अवधि:- बी.एस.आर.एम.एस पाठ्यक्रम की अवधि निम्नलिखित तालिका के अनुसार 5 वर्ष और 6 माह की होगी। अर्थात्:-

तालिका – 1

बी.एस.आर.एम.एस पाठ्यक्रम की अवधि

क्रमांक	बी.एस.आर.एम.एस पाठ्यक्रम	अवधि
(ए)	प्रथम व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस	अठारह महीने
(बी)	द्वितीय व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस	अठारह महीने
(सी)	तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस	अठारह महीने
(डी)	अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश	बारह महीने

6. प्रदान की जाने वाली उपाधि - उम्मीदवार को सभी परीक्षाओं को पास करना तथा निर्धारित अवधि में विस्तारित अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने बारह महीने की अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश करने के बाद **मेनपा कचुपा (बैचलर ऑफ सोवा-रिग्वा मेडिसिन एंड सर्जरी- बी.एस.आर.एम.एस.)** उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।

7. शिक्षा का माध्यम - शिक्षा का माध्यम भोटी भाषा होगी।

8. अध्ययन का स्वरुप - (1) बी.एस.आर.एम.एस. पाठ्यक्रम में मुख्य विषय एवं ऐच्छिक विषय दोनों शामिल होंगे। अध्ययन का स्वरुप निम्नलिखित होगा। अर्थात् :-

(ए) (i) (ए) प्रवेश के बाद छात्र को बी.एस.आर.एम.एस. छात्रो को कम से कम पंद्रह दिवसीय आरम्भिक प्रेरक पाठ्यक्रम जो सोवा-रिग्पा चिकित्सा प्रणाली से परिचित कराने तथा बी.एस.आर.एम.एस पाठ्यक्रम को समझाने हेतु आयोजित किया जायेगा ताकी वह आगामी अगले साढ़े चार साल जिस विषय का अध्ययन करने जा रहा है उससे अवगत हो सके तथा उसके बाद वह बारह महीने के प्रशीक्षण कार्यक्रम को पूर्ण कर सके।

(बी) प्रस्तावना कार्यक्रम के समय, सोवा-रिग्पा के छात्र को निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा अन्य विषयों के साथ भोटी भाषा, बौद्ध दर्शन और तर्कशास्त्र, जीवन मूल्य की बुनियाद तथा प्राथमिक चिकित्सा के विषय से परिचित कराया जायेगा

(सी) प्रस्तावना कार्यक्रम पंद्रह दिनों का होगा जो 90 घंटे से कम का नहीं होगा तथा प्रतिदिन दिन 6 घंटे का हो सकता है।भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग समय-समय पर इस परिवर्तनीय पाठ्यक्रम को निर्देशित करेगा।

(ii) प्रत्येक व्यावसायिक कार्य दिवस तीन सौ बीस दिनों (320 दिनों) से कम नहीं होंगे।

(iii) (ए) प्रथम व्यावसायिक सत्र कुल तीन सौ पांच दिनों (305 दिनों) से कम नहीं होंगे, जिसमें प्रस्तावना कार्यक्रम के पंद्रह दिन (15 दिन) शामिल नहीं होगे।

(बी) प्रथम व्यावसायिक सत्र के लिए कुल 1920 शिक्षण घंटे अनिवार्य होगे (इससे कम नहीं होगे) व्याख्यान और गैर व्याख्यान शिक्षण के समय का अनुपात 1:2 होगा।

(iv) (ए) द्वितीय व्यावसायिक सत्र के लिए कुल 2240 शिक्षण घंटे अनिवार्य होगे (इससे कम नहीं होगे) व्याख्यान और गैर व्याख्यान शिक्षण के समय का अनुपात 1:2 होगा।

(बी) द्वितीय व्यावसायिक सत्र के दौरान शिक्षण अस्पताल के बहिरंग विभाग (ओ.पी. डी) या अन्तरंग विभाग (आई.पी.डी.) या प्रयोगशाला या औषधि निर्माण शाला या औषधालय में सुबह के समय प्रतिदिन कम से कम एक घंटे की नैदानिक कक्षाएं संचालित की जाएंगी जिससे छात्र संबंधित गतिविधियों से परिचित हो सके।

(v) तृतीय व्यावसायिक सत्र के लिए कुल शिक्षण घंटे 2240 से कम नहीं होंगे तीसरे (अंतिम) व्यावसायिक सत्र में सुबह के समय संलग्न शिक्षण अस्पताल में तीन घंटे की नैदानिक कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। व्याख्यान और गैर व्याख्यान शिक्षण के समय का अनुपात 1:2 होगा।

(vi) शिक्षण हेतु निर्धारित अवधि को विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा आवश्यकता के अनुसार आवश्यक गतिविधियो को पूरा करने के लिए कार्य का समय बढाया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "व्याख्यान" का अर्थ है उपदेशात्मक शिक्षण अर्थात, कक्षा में शिक्षण और अभिव्यक्ति "गैर-व्याख्यान" में व्यावहारिक / नैदानिक और प्रदर्शनकारी शिक्षण शामिल हैं इस प्रकार के शिक्षण पद्धति में विद्यार्थियों के साथ समतुल्य रूप से जुड़ कर सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक शिक्षा को शामिल करते है । (जैसे सोवा-रिग्पा ज्योतिषय ज्ञान, मौखिक पाठ या छोटे समूह आधारित विषय चर्चा, संगोष्ठी या समूह चर्चा, अध्ययन आधारित लिखित प्रस्तुती, पारंपरिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, प्रदर्शनी तथा वीडियो पाठ औषधि निर्माण सम्बंधित प्रशिक्षण प्रयोगशाला प्रशिक्षण या आस-पास के क्षेत्र का अवलोकन प्रेरणा प्रद कौशल विकास आधारित शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समस्या आधारित शिक्षा, प्रश्न आधारित शिक्षा, परियोजना आधारित शिक्षा, रोगी आधारित शिक्षा या प्रारंभिक नैदानिक प्रक्रिया का ज्ञान या प्रमाण आधारित प्रशीक्षण या अंतर विषयी शिक्षा या सहजता के साथ शिक्षा या अन्य विषयों के मिश्रित शिक्षा या वाद-विवाद आदि के माध्यम से विषय की आवश्यकता के अनुसार गैर-व्याख्यान वाले नैदानिक या व्यावहारिक ज्ञान हेतु सत्तर प्रतिशत तथा प्रदर्शनात्मक गतिविधियों हेतु तीस प्रतिशत का समय निर्धारित करना चाहिए ।

(vii) सभी कक्षा के विद्यार्थियों को नियमित समय सारणी आवंटित कर प्रति सप्ताह पुस्तकालय एवं शारीरिक शिक्षा के लिए कम से कम एक घंटा, तथा प्रति माह एक घंटा मनोरंजन हेतु जिसमे प्रतिभा उन्मुखीकरण पाठ्येतर गतिविधियों करना होगा।

(बी) प्रथम व्यावसायिक सत्र सामान्यत: अक्टूबर के महीने में शुरू होगा और समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समयानुसार निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित विषय को पढ़ाया जाएगा । यथा : -

तालिका -2

प्रथम व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस. के लिए विषय या पाठ्यक्रम

क्रमांक	विषयो का नाम		
	विषय कोड	**विषय**	समतुल्य शब्द
1	एसआरयू जी एल टी	सोरिग-लोगुय्स-दंग-शि-चई- तढूब	इतिहास एवं मौलिक सिद्धान्त
2	एसआरयूजी-जी एल	डूपा-लूस	मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान
3	एसआरयू जी एन टी -I	नद-तग- थब्स -१	सोवा-रिग्पा-निदान (भाग -I)
4	एसआरयू जी-टी एन	थमल- नद- मेद	रोग प्रतिरोध विज्ञान सार्वजनिक स्वास्थ एवं योग विज्ञान
5	एसआरयू जी एॅम जेड-I	स्मन -ज़स -I	औषधि विवरण भाग - 1)
6	एसआरयू जी के वाई	स्कद-यिग	भोटी भाषा
7	एसआरयू जी के टी	सो-चेत-चिरिग	सोवा-रिग्पा चिकित्सा ज्योतिष
8	-	लो-ग्युक्स	मौखिक परीक्षा *
9	-	च-ग्युद-यंग-ना-शेद-ग्युद डोंगडेम्स	अवधारणा चित्रण -I या II **
10	वैकल्पिक (कम से कम तीन) विषय		

* शिक्षण घंटों के अतिरिक्त त्सवा को याद कर सस्वर पाठ करना

** छात्रों को किसी एक भाग-I या II के संप्रत्य तथा मानचित्र की अवधारणा को व्यक्तिगत स्तर पर समग्र रूप से सही ढंग से समझना आवश्यक है। यह गैर-व्याख्यान के अंतर्गत होगा।

(सी)द्वितीय व्यावसायिक सत्र सामान्यत: प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के पूरा होने के बाद अप्रैल के महीने से शुरू होगा । भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समयानुसार निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित विषयों को पढ़ाया जाएगा । यथा : -

तालिका -3

द्वितीय व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस. के लिए विषय या पाठ्यक्रम

क्रमांक	विषयों का नाम		
	विषय कोड	**विषय**	**समतुल्य शब्द**
1	एसआरयूजी एँम जेड -II	स्मन-ज़स -II	औषध विवरणी (भाग -II)
2	एसआरयू जी एँमबी	शि-जेद- स्मन -जर-थब्स	सोवा-रिग्पा औषध विज्ञान एवं भैषज्य
3	एसआरयू जी एन टी II	डो-सुंग–तग-II	सोवा-रिग्पा निदान (भाग-II)
4	एसआरयू जी एस टी	सो-झेद-थब्स	सोवा-रिग्पा चिकित्सा सिद्धान्त
5	एसआरयू जी टी पी	छद-पा-सोवा	ज्वर एवं संक्रामक रोगों का प्रबंधन
6	एसआरयू जी -एल डी	लुस-स्तोत -दंग- दोंन- स्रोत-सोवा	सिर, गर्दन, वक्ष और उदर विकारों का प्रबंधन
7	एसआरयू जी -टी एस	थोर-नद-दंग-संग-नेद-सोवा	अवर्गीकृत और प्रजनन विकारों का प्रबंधन
8	-	लो-ग्युक्स	मौखिक परीक्षा
9	-	मन- ग्ग-ग्युद-डोंगडेम्स	अवधारणा चित्रण -III **
10	वैकल्पिक (कम से कम तीन) विषय		

* शिक्षण घंटों के अतिरिक्त त्सवा को याद कर सस्वर पाठ करना

** छात्रों को संप्रत्य तथा मानचित्र की अवधारणा को व्यक्तिगत स्तर पर समग्र रूप से सही ढंग से समझना आवश्यक है। यह गैर-व्याख्यान के अंतर्गत होगा।

(डी) तृतीय व्यावसायिक सत्र सामान्यत: द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूरा होने के बाद अक्टूबर के महीने से शुरू होगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समयानुसार निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित विषयों को पढ़ाया जाएगा । यथा: -

तालिका -4

तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस. के लिए विषय या पाठ्यक्रम

क्रमांक	विषयों का नाम		
	विषय संकेतांक	**विषय**	**समतुल्य शब्द**
1	एसआरयूजी- एँम एस	मा -सोवा	आतंरिक एवं बाहरी घावो का आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन
2	एसआरयूजी- डी सी	चय्द-की-चोस-थब्स	बाह्य चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा
3	एसआरयूजी- एल एन	जोङ-झेद-लेस-ङ	पञ्च चिकित्सा प्रक्रियाये
4	एसआरयूजी- बी एस	झी-नद-सोवा	बाल रोग और नवजात देखभाल
5	एसआरयूजी- एँम ओ	मो-नद-सोवा	प्रसूति एवं स्त्री रोग
6	एसआरयूजी- डी ओ	धोंन–नद-सोवा	चिकित्सा मनोविज्ञान और मनश्चिकित्सा
7	एसआरयूजी- डी एन	धुग-नद-सोवा	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष चिकत्सा ज्ञान

8	एसआरयूजी- जेड डी	शिब-जुग-थब्स-लम्ब-दंग-दूर-चिस	अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी
9	-	लो-ग्युक्स	मौखिक परीक्षा
10	-	छिमा-ग्युद-डोंग-डेम्स	अवधारणा चित्रण -IV **
11	वैकल्पिक (कम से कम तीन) विषय		

* शिक्षण घंटों के अतिरिक्त त्सवा को याद कर सस्वर पाठ करना

** छात्रों को संप्रत्य तथा मानचित्र की अवधारणा को व्यक्तिगत स्तर पर समग्र रूप से सही ढंग से समझना आवश्यक है। यह गैर-व्याख्यान के अंतर्गत होगा।

(ई) विश्वविद्यालय; संस्थान और कॉलेज अनुलग्नक - 1 में इन विनियमों में प्रदान किए गए अस्थायी शैक्षणिक कैलेंडर के नमूने के अनुसार उस विशेष बैच का एक अकादमिक कैलेंडर तैयार करेंगे और इसे छात्रों को परिचालित किया जाएगा और संबंधित वेबसाइटों में उपयोग के लिए उपलब्ध किया जाएगा और तदनुसार पालन किया जाएगा।

(एफ) बी.एस.आर.एम.एस. पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय और विभाग सम्मिलित होंगे, यथा :-

तालिका-5

विभाग और विषय

क्रमांक	विभाग	विषय
1.	*लोगुय्स दंग शिसई तदुप* विभाग (सोवा-रिग्पा का इतिहास और मौलिक सिद्धांत)	1. *सोरिग लोगुय्स धंग शिसई तदुप* (सोवा-रिग्पा का इतिहास और मौलिक सिद्धांत) 2. *स्कद-यिग* (भोटी) 3. *सो-चेत- चिरिग* (सोवा-रिग्पा चिकित्सा ज्योतिष)
2.	*डूपा लूस* विभाग (मानव शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान)	*डूपा लूस* (मानव शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान)
3.	*मेंज़स -दंग-स्मन-जोर* विभाग औषधि विवरणी औषध शास्त्र एवं भैषज्य विभाग)	1. *मेंज़स -I* (औषधि विवरणी भाग-I) 2. *मेंज़स -II* (औषधि विवरणी भाग -II) 3. *शि-जेद-स्मन-गी जर-थब्स* (सोवा-रिग्पा औषध शास्त्र एवं भैषज्य
4.	*थमल- नद- मेद-दंग-तग- थब्स* विभाग) रोग प्रतिरोध एवं सोवा -रिग्पा निदान डो-सुंग -	1. *थमल- नद- मेद* (रोग प्रतिरोध सिद्धान्त, सार्वजनिक स्वास्थ एवं सोवा-रिग्पा, योग विज्ञान) 2. *नद-तग-थब्स -I* (सोवा-रिग्पा निदान भाग - I) 3. *डो-सुंग - तक -II* (सोवा-रिग्पा निदान भाग -II) 4. *सो-झेद-थब्स* (सोवा-रिग्पा चिकित्सकीय सिद्धान्त)
5.	*चय्द- जोड* विभाग (बाह्य चिकित्सा एवं शल्य)	1.*जोड- झेद-लेस-ड* (पश्च चिकित्सा प्रक्रियाएं) 2. *चय्द-की-चोस-थब्स* (बाह्य चिकित्सा एवं शल्य)
6.	*लुस- नद- सोवा* विभाग (सामान्य औषध / काय चिकित्सा)	1. *छद-पा-सोवा* (ज्वर एवं संक्रामक रोगों का प्रबंधन) 2. *लुसस्तोत-दंग- दोंन-स्तोत-सोवा* (सिर, गर्दन, वक्ष और उदर विकारों का प्रबंधन) 3. *थोर-नद-धंग- संग-नेद-सोवा* (अवर्गीकृत और प्रजनन विकारों का प्रबंधन) 4. मा- *सोवा* (आतंरिक एवं बाहरी घावो का आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन)
7.	*झी-नद- दंग- मोनद सोवा* विभाग (बाल रोग और नवजात देखभाल)	1. *झी-नद-सोवा* (बाल रोग और नवजात देखभाल) 2. *मोनद सोवा* (प्रसूति एवं स्त्री रोग)

8.	*धोंन– नद दंग धुग-नद-सोवा* विभाग (चिकित्सा मनोविज्ञान एवं विष विज्ञान)	1. *धोंन– नद सोवा* (चिकित्सा मनोविज्ञान और मनश्चिकित्सा) 2. *धुग-नद-सोवा* (चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष चिकत्सा ज्ञान) 3. *शिब-जुग-थब्स-लम्ब- दंग - दूरचिस* (अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी)

(जी) ऐच्छिक:- (i) सोवा-रिग्पा के पाठ्यक्रम में छात्रों को उनसे सम्बंधित विविध विषयों के प्रति रूचि रुझान पैदा करने तथा उससे परिचित कराने हेतु बी.एस.आर.एम.एस के विद्यार्थियों को वैकल्पिक ज्ञान आवश्यक है ताकी उनकी समझ में एक बहु विषयी ज्ञान का अनुशासनात्मक दृष्टि कोण स्थापित हो सके ।

(ii) ऐच्छिक विषयों का पाठ्यक्रम ऑनलाइन भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा

(iii) प्रत्येक वैकल्पिक विषय पैंतालीस घंटे की अवधि का होगा जो पांच भागो में विभाजित होगा प्रत्येक सत्र नौ घंटे अर्थात पांच घंटे का शिक्षण, दो घंटे का मार्ग दर्शन आधारित शिक्षा जो विशेषज्ञ से वार्ता प्रतिवर्तन (गहन चिंतन) तथा मूल्यांकन के लिए एक घंटा आवंटित होगा इस प्रकार कुल मिलाकर प्रत्येक वैकल्पिक विषय के लिए पच्चीस घंटे होगे । इस प्रकार, दस घंटे मार्ग दर्शन, पांच घंटे की विशेषज्ञ वार्ता, तथा पांच घंटे मूल्यांकन के लिए निर्धारित होगा (प्रत्येक 1 घंटे के 5 आंकलन होंगे।)

स्पष्टीकरण:- प्रस्तुत अधिनियम में, "शिक्षण" का अर्थ है तकनीकी आधारित ज्ञान प्रेषण वीडियो व्याख्यान, पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण, ऑडियो व्याख्यान, वीडियो क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग, आदि।

(iv) इन विनियमों के अंतर्गत ऐच्छिक के अध्ययन के घंटे बी.एस.आर.एम.एस. के निर्धारित शिक्षण घंटों से अधिक हैं।

(एच) नैदानिक प्रशिक्षण: - छात्रों को नैदानिक ज्ञान प्रशिक्षण प्रदर्शन प्रथम व्यावसायिक सत्र से ही आरम्भ होगा । उल्लिखित निम्नलिखित तालिका के अनुसार, यथा: -

तालिका -6

नैदानिक प्रशिक्षण अवधि

व्यावसायिक सत्र	नैदानिक प्रशिक्षण अवधि
प्रथम	विषय या विषय से संबंधित नैदानिक प्रशिक्षण संबंधित शिक्षण संकाय/विभाग द्वारा गैर-व्याख्यान घंटों में (व्यावहारिक और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के अलावा) विषय की आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
द्वितीय	सुबह के सत्र के दौरान बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) या अंतरंग रोगी विभाग (आईपीडी) में प्रतिदिन एक घंटे का नैदानिक प्रशिक्षण
तृतीय (अंतिम)	सुबह के सत्र के दौरान बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) या अंतरंग रोगी विभाग (आईपीडी) में प्रतिदिन तीन घंटे का नैदानिक प्रशिक्षण

9. भारतीय चिकित्सा पद्धति (एसएमएएसटीडी-आईएसएम) में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के पूरक के लिए कार्यप्रणाली. -

(1) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 के लिए राष्ट्रीय आयोग की धारा 2 की उपधारा (एच) के तहत सोवा-रिग्पा चिकित्सा प्रणाली (एसएमएएसटीडी-आईएसएम) में आधुनिक विकास, वैज्ञानिक तकनीकी, नैदानिक उपकरणों को कैसे अपनी पद्धति के अनुरूप प्रयोग किया जाये उसकी कार्यप्रणाली खोजने समझने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा जो निम्नानुसार उभरते क्षेत्रो को अपने समेटेगा :-

(i) ऐसे सभी विषयों को इसमें शामिल करेगे जिनमे नवीन अनुसन्धान एवं नव विकास की संभावना हो यथा जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, औषधीय वनस्पति विज्ञान और भैषज्य विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, प्रतिरक्षण विज्ञान आदि ।

(ii) नैदानिक उत्कर्ष

(iii) चिकित्सीय तकनीक

(iv) शल्य शालाक्य तकनीक या प्रौद्योगिकी

(v) औषध तकनीकी के साथ गुणवत्ता और मानकीकरण आदि प्रौद्योगिकी को विकसित करना ।

(vi) शिक्षण, प्रशिक्षण की पद्धति एवं प्रौद्योगिकी

(vii) अनुसंधान पद्धति मापदंड, मापन एवं उपकरण आदि;

(viii) तकनीकी प्रगति हेतु विभिन्न प्रकार के यंत्रो का प्रयोग करना यथा, स्वचालन, सॉफ्टवेयर (क्रमानुदेश), कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटलीकरण (अंकीकरण), प्रलेखन आदि ।

(ix) जैव चिकित्सा प्रगति

(x) चिकित्सकीय उपकरण

(xi) सोवा-रिग्पा पद्धति के मानकीकरण एवं अनुसंधान विकास, शिक्षण, जांच, निदान, उपचार, प्रलेखन, प्रद्योगिकी आदि को समझने हेतु जो भी उपयोगी विधि हो उसे अपनाना ।

(2) अधिनियम 8 के उप अधिनियम (1) के खंड (एफ) में निर्दिष्ट निर्देश के अनुसार यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा परिषद् सोवा-रिग्पा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाएगा, जो एक साथ दो कार्यक्षेत्रों शिक्षा और अनुसंधान में कैसे आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति हेतु तकनीकी को समावेशित कर विकास का अनुकूल परिस्थियों का निर्माण किया जा सके तथा आवश्यकतानुसार इसे स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग सोवा-रिग्पा के लिए एक बहु-विकल्पी मूलभूत समिति होगी जो विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों प्रस्तावों (आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी) की उपयोगिता के उद्देश्य की जांच -परख कर पाठ्यक्रम में शामिल करने की संस्तुति हेतु विचार करेगी ।

(4) एक बार जब कोर कमेटी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अनुमोदित कर देती है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग यूनानी, सिद्धा सोवा-रिग्पा बोर्ड को निर्देश देगा कि वे विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्दिष्ट स्नातक या स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करें।

(5) आधुनिक विकसित वैज्ञानिक अनुमोदन को सोवा-रिग्पा के सिद्धांतों पर परखने के बाद ही शामिल किया जायेगा ।

(6) आधुनिक विकसित वैज्ञानिक अनुमोदन को पांच साल बाद पाठ्यक्रम में शामिल कर सोवा-रिग्पा का एक हिस्सा माना जाएगा ।

(7) यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा परिषद् के अध्यक्ष, ही सोवा-रिग्पा विशेषज्ञ समिति और मूलभूत (वास्तविक) समिति अध्यक्ष होंगे।

(8) सोवा-रिग्पा विशेषज्ञ समिति और मूलभूत समिति का कार्यकाल उनके गठन के दिनांक से से तीन वर्ष के लिए होगा।

(9) सोवा-रिग्पा में आधुनिक ज्ञान सिर्फ 40 प्रतिशत ही शामिल किया जायेगा ताकी उसकी वास्तविकता,अखंडता अद्वितीय मूल ज्ञान या उसकी आत्मा से कोई समझौता न होने पाए ।

10. परीक्षा - (ए) (i) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा आमतौर पर सामान्यतः पहले व्यावसायिक सत्र के समापन तक आयोजित की जाएगी।

(ii) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा में एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को द्वितीय व्यावसायिक सत्र में शर्तो के साथ द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी ।

(iii) दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को किसी भी शर्त पर द्वितीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी प्रत्येक छह महीने में प्रथम व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पूरक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

(बी) (i) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा सामान्यत: सत्र के अंत तक आयोजित कर संपन्न कर ली जाएगी ;

(ii) द्वितीय व्यावसायिक के एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को शर्तों के साथ तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी ।

(iii) दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को किसी भी शर्त पर तृतीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, प्रत्येक छह महीने में द्वितीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पूरक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

(सी) (i) तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा सामान्यत: तीसरे सत्र के अंत तक आयोजित कर संपन्न कर ली जाएगी ;

(ii) तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा में बैठने से पूर्व, छात्रों को प्रथम और द्वितीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सभी नौ ऐच्छिक विषयों को उत्तीर्ण करना होगा ।

(iii) तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक की अनुवर्ती पूरक परीक्षा प्रत्येक छह माह में आयोजित की जाएगी।

(डी) (जो छात्र किन्ही कारण से अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर सके) उनके लिए अलग कक्षा नहीं होगी उन्हें नियमित कक्षा में उपस्थित होना होगा या अपने से अवर छात्र समूह की कक्षा में उपस्थित होना होगा।

(ई) अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, प्रवेश की तारीख से अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के भीतर सभी 3 व्यावसायिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी और 9 ऐच्छिक में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

(एफ) सैद्धांतिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) के लिए 20% अंक, लघु उत्तरीय प्रश्नों (एसएक्यू) के लिए 40% अंक और दीर्घ व्याख्यात्मक उत्तर प्रश्नों (एलएक्यू) के लिए 40% अंक होंगे और ये प्रश्न उस विषय के पूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेंगे।

(जी) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक सैद्धांतिक भाग में 50% और प्रेक्टिकल भाग में 50% (जिसमें प्रेक्टिकल और नैदानिक, मौखिक, आंतरिक मूल्यांकन और ऐच्छिक जहां भी लागू हो) प्रत्येक विषय में अलग से। मौखिक परीक्षा (त्सवा स्मृति और पाठन में) उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 65% आवश्यक है।

(एच) ऐच्छिक विषयों का मूल्यांकन: - ऐच्छिक का मूल्यांकन उपस्थिति और एससेसमेंट के संदर्भ में किया जाएगा और मूल्यांकन के आधार पर, छात्र को क्रेडिट के साथ-साथ ग्रेड भी दिए जाएंगे-

(i) एक छात्र प्रत्येक ऐच्छिक विषय के लिए अधिकतम 5 आभार अंक (क्रेडिट) अर्जित कर सकता है और प्रमाणीय (मॉड्यूल) मॉड्यूलर कार्यक्रम में न्यूनतम 5 घंटे भाग लेने पर 1 आभार अंक प्रदान किया जाएगा ।

(ii) मूल्यांकन प्रत्येक (मापांक) मॉड्यूल के अंत में अंकित किया जाएगा जो औसतन 5 प्रमापीय पर आधारित होगी ।

श्रेणी का निर्धारण सभी 5 मापदंडो के आधार पर किया जायेगा । कांस्य: <25 प्रतिशत। चांदी : 26-50 प्रतिशत सोना: 51-75 प्रतिशत। प्लेटिनम : 76 प्रतिशत से अधिक ।

(iii) ऐच्छिक विषय की संरचना निम्न तालिका के अनुसार: -

तालिका -7

ऐच्छिक विषय की संरचना

प्रत्येक ऐच्छिक विषय : 5 पांच मापदंड प्रत्येक नौ घंटे (5x9=45)					
क्रमांक	**अवयव**	**अवधि (घंटे)**		**आभार**	**श्रेणी**
		मापदंड	**ऐच्छिक**	1 आभार अंक कम से कम 5 घंटे मापनीय पाठ्यक्रम में शामिल होने पर (अर्थात अधिकतम 5 आभार अंक)	श्रेणी का निर्धारण सभी 5 मापदंडो के औसत के आधार पर किया जायेगा । कांस्य: <25 प्रतिशत। चांदी : 26-50 प्रतिशत सोना: 51-75 प्रतिशत। प्लेटिनम : 76 प्रतिशत से अधिक ।
1	शिक्षण	5	25		
2	मार्ग दर्शन आधारित शिक्षण	2	10		
3	विशेषज्ञ अंत:क्रिया / प्रतिविम्ब	1	5		
4	मूल्यांकन	1	5		

(iv) (ए) छात्र को प्रत्येक व्यावसायिक सत्र में न्यूनतम तीन ऐच्छिक विषयों को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा (किसी भी श्रेणी में) परन्तु तीसरे (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा के लिए सभी नौ ऐच्छिक विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । यदि कोई छात्र ऐसा नहीं कर पाता है तो अगले उच्च व्यावसायिक सत्र में प्रवेश ले सकता है लेकिन पिछले व्यावसायिक सत्र के ऐच्छिक विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा अन्यथा पिछले व्यावसायिक सत्र के ऐच्छिक विषय में अंक प्रदान नहीं किये जायेगे ।

(बी) ऐच्छिक विषयों की पूर्ण सूची प्रत्येक व्यावसायिक सत्र के लिए तीन खंड में (ए, बी और सी) के तहत उपलब्ध कराई जाएगी, यानी पहले व्यावसायिक बी.एस.आर.एम. एस के लिए एफ ए, एफ बी और एफ सी खंड में ; द्वितीय व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस के लिए एस ए, एस बी और एस सी खंड में ; तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस के लिए टी ए टी बी और टी सी खंड – दिया जायेगा ।

(सी) छात्र अपने से संबंधित व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस पाठ्यक्रम के लिए निर्दिष्ट प्रत्येक खंड में से अपनी पसंद के अनुसार किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं।

(डी) प्रत्येक ऐच्छिक विषय के लिए दो अंकों का भार प्रदान किया जायेगा , अधिकतम दस अंक दिए जाएंगे।

(ई) निर्देशित अधिनियम के अनुसार इन ऐच्छिक अंकों को संबंधित विषयों के मौखिक अंकों में जोड़ा जाएगा।

(एफ) प्रत्येक व्यावसायिक सत्र में छात्रों को प्रत्येक खंड तीन अनिवार्य ऐच्छिक के अलावा विषय के अतिरिक्त उनकी रुचि के अनुसार अधिक संख्या में विषयों को शामिल किया गया है ताकी वह स्वतंत्र रूप से विषयों का चयन कर सके । हर खंड में प्राप्त उच्चतम अंकों को संबंधित विषय में जोडा जाएगा एवं सभी विश्वविद्यालय तालिका 13, 15 में निर्दिष्ट तरीके से विषयों को शामिल करेगे ।

(जी) अंक भार प्रति व्यावसायिक सत्र में केवल तीन ऐच्छिक विषयों में ही मिलेगा यानी प्रत्येक खंड से केवल एक ही ऐच्छिक विषय लेना ।

(एच) प्रत्येक ऐच्छिक विषय में अर्जित प्रभार और प्राप्त श्रेणी का उल्लेख करते हुए प्रत्येक ऐच्छिक विषय का ऑनलाइन प्रमाण पत्र तैयार कर छात्र द्वारा डाउनलोड (अधोधारण) किया जाएगा।

(v) सोवा-रिग्पा महाविद्यालय या संस्थान की परीक्षा शाखा संस्थान के प्रमुख के माध्यम से प्राप्त छात्रों द्वारा प्राप्त ऐच्छिक के अंकों को संकलित करेगी और बाद में विश्वविद्यालय को जमा करेगी ताकि विश्वविद्यालय इसे संबंधित विषयों की मौखिक परीक्षा में जोड़ सके। जैसा कि तालिका 13, 15 और 17 में दिखाया गया है ।

(आई) (i) 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाला प्रथम श्रेणी 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को विशिष्टता से सम्मानित किया जाएगा ।

(ii) पूरक परीक्षाओं के माध्यम से उत्तीर्ण विद्यार्थीयो के लिए पुरस्कार का नियम लागू नहीं होगा।

(जे) (i) प्रत्येक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य (अर्थात व्याख्यान के घंटे), और व्यावहारिक/नैदानिक (अर्थात, गैर-व्याख्यान घंटे) सभी में अलग-अलग।

(ii) जिन संस्थानो में भौतिक उपस्थिति पंजिका प्रयोग होता है, इसे अनुलग्नक- II के अनुसार संचयी पद्धति में दर्ज किया जाएगा और पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद, प्रत्येक छात्र के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे संबंधित प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है फिर सोवा-रिग्पा कॉलेज / संस्थान के प्रमुख द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

(iii) स्वीकृत उपस्थिति विश्वविद्यालय को अग्रेषित की जाएगी।

(के) यदि कोई छात्र संज्ञानात्मक कारणों से नियमित परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पता है और चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो वह नियमित छात्र के रूप में पूरक परीक्षा में उपस्थित हो सकता है और इसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को दी जाएगी परन्तु उसे नियमित परीक्षा से अनुपस्थिति नहीं माना जा सकता है ।

11. मूल्यांकन: - छात्रों का आकलन (रचनात्मक) और (योगात्मक) के रूप में आकलन निम्नानुसार होगा: -

(ए) रचनात्मक आकलन: - छात्रों को कक्षा में उनके प्रदर्शन का आकलन एवं मूल्यांकन का आधार पाठ्यक्रम सामग्री की समझ, सीखने के परिणाम आदि के माध्यम से किया जाएगा। निम्नलिखित तरीके से, यथा:-

(i) किसी विषय या शिक्षण के अंत में विशेष भाग पाठ्यक्रम के (मॉड्यूल) मापदंड के आधार पर आवधिक मूल्यांकन किया जाएगा एक विशेष भाग के शिक्षण के अंत में आवधिक मूल्यांकन किया जाएगा । तालिका के अनुसार मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित विधियों को आवश्यकता अनुसार अपनाया जा सकता है, यथा:-

तालिका - 8

मूल्यांकन पद्धति एवं आवधिक मूल्यांकन

क्रमांक	मूल्यांकन विधि
1.	व्यावहारिक या नैदानिक प्रदर्शन
2.	मौखिक / बहुविकल्पीय प्रश्न (ऍम सी क्यू) /संशोधित दीर्घउत्तरीय प्रश्न/ संरचित प्रश्न (ऍम इ क्यू) / संरचित प्रश्न
3.	ओपन बुक टेस्ट (समस्या आधारित परीक्षा)
4.	सारांश लेखन (शोध पत्र)
5.	कक्षा प्रस्तुतिकरण
6.	कार्य पुस्तिका देख भाल
7.	समस्या आधारित निर्दिष्ट पत्र
8.	उदेश्य आधारित नैदानिक परीक्षा (ओएससीई) उदेश्य संरचित व्यावहारिक परीक्षा (ओएसपीई)लघु नैदानिक मूल्याकन अभ्यास (मिनी सी ई एक्स) प्रक्रियाओ का प्रत्यक्ष अवलोकन (डीओपी) केस आधारित चर्चा (सीबीडी)
9.	पाठ्येतर गतिविधियाँ (सामाजिक कार्य, जन जागरूकता, निगरानी गतिविधियाँ, खेल या अन्य गतिविधियाँ जो विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं)
10.	लघु परियोजना (व्यक्तिगत या सामूहिक)
11.	मौखिक परीक्षा आदि

(ii) (ए) प्रथम अवधि परीक्षा की परीक्षा का आयोजन कॉलेज या संस्थान द्वारा छह महीने के अंत में करेगा) जिसमे 30% तीस प्रतिशत के लिए आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। अन्य पाठ्यक्रम की द्वितीय अवधि परीक्षा सत्र में जिसके लिए 40% अंक दिए जायेगे तथा शेष पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परीक्षा पद्धति के अनुसार होगे ।

(बी) शेष 30% पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परीक्षा से पहले पिछले 6 महीनों (तृतीय अवधि परीक्षा) में पूरा किया जाएगा;

(iii) प्रथम अवधि परीक्षा की परीक्षा से पूर्व प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम 3 आवधिक मूल्यांकन होंगे (सामान्यतः संबंधित बी.एस.आर.एम.एस. व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छठवे माह में) द्वितीय अवधि परीक्षा की परीक्षा से पहले 3 आवधिक मूल्यांकन होंगे (सामान्यतः संबंधित बी.एस.आर.एम.एस. व्यावसायिक पाठ्यक्रम के 12वें महीने में) न्यूनतम 3 आवधिक मूल्यांकन संबंधित बी.एस.आर.एम.एस. व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंतिम परीक्षा विश्वविद्यालय परीक्षाओं (योगात्मक मूल्यांकन) से पहले ली जायेगी ।

(iv) मूल्याकन की योजना का निर्धारण (रचनात्मक और योगात्मक) की गणना निम्नलिखित तालिकाओं के अनुसार होगी, अर्थात्:-

तालिका - 9

मूल्याकन की योजना (रचनात्मक और योगात्मक)

कमांक	व्यावसायिक सत्र	व्यावसायिक सत्र की अवधि		
		पहला कार्य काल (1-6 माह)	दूसरा कार्य काल (7-12 माह)	तीसरा कार्य काल (13-18 माह)
1	प्रथम व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस.	3 पी ए एवं प्रथम टी टी	3 पी ए एवं द्वितीय टी टी	3 पी ए एवं यू ई
2	द्वितीय व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस.	3 पी ए एवं प्रथम टी टी	3 पी ए एवं द्वितीय टी टी	3 पी ए एवं यू ई
3	तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस.	३ पी ए एवं प्रथम टी टी	३ पी ए एवं द्वितीय टी टी	३ पी ए एवं यू ई

पी ए – अवधिक मूल्यांकन, टी टी- सत्र परीक्षा, यू ई - विश्वविद्यालय परीक्षा

तालिका –10

आतंरिक मूल्यांकन अंकों की गणना पद्धति (अंक 20)

सत्र	**अवधिक मूल्यांकन**				**सत्र परीक्षा**	**सत्र मूल्याकन**	
	ए	**बी**	**सी**	**डी**	**ई**	**एफ**	**जी**
	1 (20)	2 (20)	3 (20)	औसत (ए +बी +सी/3 (20)	सैद्धांतिक (एमसीक्यू + एसएक्यू + एलएक्यू) और व्यावहारिक (20 में परिवर्तित)	उप- योग (40अंक)	सत्र मूल्यांकन (20 अंक)
प्रथम						डी +इ	डी +इ /2
द्वितीय						डी +इ	डी +इ /2
तृतीय					शून्य	डी	डी
अंतिम आतंरिक मूल्यांकन	**अंतिम आतंरिक मूल्यांकन : तीनो सत्र के मूल्यांकन हेतु औसत जी वर्ग में दिखाया गया है ।**						

तालिका –11

आंतरिक मूल्यांकन की गणना पद्धति (20 अंक) मौखिक एवं संकल्पना मानचित्रण परीक्षा

सत्र	**अवधिक मूल्यांकन**				**सत्र परीक्षा**	**सत्र मूल्याकन**	
	ए	**बी**	**सी**	**डी**	**इ**	**ऍफ़**	**जी**
	1 (20)	2 (20)	3 (20)	औसत (20) ए +बी +सी /३(20)	मौखिक परीक्षा (पाठन एवं अवधारणा आधारित चित्रण प्रदर्शन (जिसे 20 अंको में परिवर्तित)	उप -योग 40 अंक	सत्र मूल्यांकन (20 अंक)
प्रथम						डी +इ	डी +इ /2
द्वितीय						डी +इ	डी +इ /2
तृतीय					शून्य	डी	डी
अंतिम आतंरिक मूल्यांकन	**अंतिम आतंरिक** मूल्यांकन **: तीनो मूल्यांकन का औसत अंक(जी) स्तम्भ में अंकित है ।**						

(बी) योगात्मक (सम्पूर्ण) आकलन:- (i) प्रत्येक बी.एस.आर.एम.एस व्यावसायिक सत्र के अंत में विद्यार्थियों का अंतिम मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर होगा ।

(ii) परीक्षा का मूल्यांकन दो स्तरीय प्रणाली से होगा और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं होगी।

स्पस्टीकरण - 1. एक उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। दोहरे मूल्यांकन के बाद, यदि दोनों अंकों के बीच अंतर कुल या अधिकतम अंकों के 19 प्रतिशत तक है, तो दोनों अंकों के औसत को अंतिम प्राप्तांक माना जाएगा। भिन्नात्मक अंकों के मामले में, यदि यह 0.5 और उससे अधिक है तो उसे अगला उच्चतम अंक दे दिया जायेगा । और यदि अंतर 0.5 से कम है तो इसे निम्न पूर्ण अंकों के रूप में अंकित किया जायेगा ।

2. दो स्तरीय मूल्यांकन के बाद यदि दो स्वतंत्र अंकों के बीच का अंतर 20% अंकों से अधिक है, तो ऐसी उत्तर पुस्तिका को तीसरे परीक्षक के पास मूल्यांकन के लिए भेजा जाना चाहिए, लेकिन दो में से एक में 35% अंक से अधिक का अंतर होना चाहिए। एक तीसरा स्वतंत्र परीक्षक मूल्यांकन कर अंक प्रदान करेगा। तीनों मूल्यांकनों में से दो उच्चतम अंकों के औसत को

अंतिम अंक माना जायेगा। भिन्नात्मक अंकों के मामले में, यदि यह 0.5 और उससे अधिक है तो उसे अगला उच्चतम अंक दे दिया जायेगा। और यदि अंतर 0.5 से कम है तो इसे निम्न पूर्ण अंकों के रूप में अंकित किया जायेगा।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रायोगिक या नैदानिक या मौखिक परीक्षाओं के लिए दो परीक्षक (एक आंतरिक और एक बाहरी) होंगे।

(iv) योगात्मक मूल्यांकन के परिणाम घोषित करते समय, आंतरिक मूल्यांकन घटक और ऐच्छिक अंकों की तालिका 13, 15 और 17 में दिए गए अंक वितरण प्रणाली के अनुसार माना जाएगा।

12. व्यावसायिक के अनुरूप विषय, प्रश्नपत्रों की संख्या, शिक्षण काल अवधि और अंकों का वितरण निम्नलिखित तालिकाओं के अनुसार होगा। यथा: -

तालिका –12

प्रथम व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस. पाठ्यक्रम (विषय)के लिए शिक्षण काल अवधि

प्रथम व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस. कार्य दिवस = 320, शिक्षण घंटे = 1920 अधिष्ठापन कार्यक्रम = 15 कार्य दिवस (90 घंटे) शेष दिवस एवं शिक्षणघंटे = 320-15 दिवस (305 कार्य दिवस / 1830 घंटे)					
क्रमांक	विषय का नाम		शिक्षण घंटों की संख्या		
			व्याख्यान	गैर-व्याख्यान	कुल
	विषय संकेतांक	समतुल्य सत्र			
1	एसआरयूजी - एल टी	सोरिग-लोगुय्स-दंग-शि-चई- तढूब (सोवा-रिग्पा के मौलिक सिद्धांत एवं इतिहास) प्रश्नपत्र -1 और प्रश्नपत्र - 2	80	100	180
2	एसआरयूजी - जी एल	डूपा-लूस (मानव शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान) प्रश्नपत्र -1 और प्रश्नपत्र -2	90	190	280
3	एसआरयूजी - एन टी-I	थमल- नद- मेद (सोवा-रिग्पा निदान भाग -I)	90	180	270
4	एसआरयूजी-टी एन	थमल- नद- मेद (रोग प्रतिरोध और अनुशासन, मानव स्वास्थ एवं सोवा-रिग्पा योगिक विज्ञान)	90	180	270
5	एसआरयूजी - एॅम जेड I	स्मन-ज़स-I (भेषजगुण विज्ञान) भाग-I	90	180	270
6	एसआरयूजी-के वाई	स्कद-यिग (भोटी)	90	180	270
7	एसआरयूजी-के टी	सो-चेत- चिरिग (सोवा-रिग्पा ज्योतिष चिकित्सा विज्ञान)	80	160	240
8	--	च-ग्युद-यंग-ना-शेद-ग्युद-डोंग-डेम्स (प्रतिचित्रण संप्रत्य-I या II)	--	50	50
9	--	लो- ग्युक्स (मौखिक परीक्षा)	--	--	--
पूर्ण योग			610	1220	1830

तालिका– 13

प्रथम व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस. विषयों के लिए प्रश्नपत्रों और अंकों का वितरण

क्रमांक	विषय	प्रश्न पत्र	सैद्धांतिक	व्यावहारिक एवं चिकित्सकीय मूल्यांकन					सम्पूर्ण योग
				व्यावहारिक एवं नैदानिक	मौखिक	ऐच्छिक	आतंरिक मूल्यांकन	योग	
1.	*सोरिग-लोगुय्स-दंग-शि-चई- तढूब* (सोवा-रिग्पा के मौलिक सिद्धांत एवं इतिहास) प्रश्नपत्र-1 और प्रश्नपत्र -2	2	200	-	30	-	20	50	250
2.	*डूपा-लूस* (मानव (शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान) प्रश्नपत्र -1 और प्रश्नपत्र -2	2	200	100	20	10 संग्रह एॅफ़ ए *	20	150	350
3.	*थमल- नद- मेद* (सोवा-रिग्पा निदान) भाग -I	1	100	100	20	10 (संग्रह एॅफ़ बी) *	20	150	250
4.	*थमल- नद- मेद* (रोग प्रतिरोध और अनुशासन, मानव स्वास्थ एवं सोवा-रिग्पा योगिक विज्ञान)	1	100	-	30	-	20	50	150
5.	*स्मन-ज़स*-I (भैषज्यगुण विज्ञान)भाग -I	1	100	100	20	10 संग्रह एॅफ़ सी	20	150	250
6.	*स्कद-यिग* (भोटी)	1	100	-	30	-	20	50	150
7.	*सो-चेत- चिरिग* (सोवा-रिग्पा ज्योतिष चिकित्सा विज्ञान)	1	100	-	30	-	20	50	150
8	*लो- ग्युक्स* (मौखिक परीक्षा)	-	-	-	80	-	20	100	100
9	*च-ग्युद-यंग-ना-शेद-ग्युद-डोंग-डेम्स* (प्रतिचित्रण संप्रत्य-I या II	-	-	-	80	-	20	100	100
सम्पूर्ण योग									**1750**

[* संग्रह – एॅफ़ ए, एॅफ़ बी, एॅफ़ सी - प्रथम बी.एस.आर.एम.एस. व्यावसायिक के लिए]

तालिका – 14

द्वितीय बी.एस.आर.एम.एस. व्यावसायिक के लिए विषय सहित शिक्षण अवधि

द्वितीय बी.एस.आर.एम.एस. कार्य दिवस = 320 दिन , शिक्षण अवधि = 2240 घंटे 320 घंटे चिकित्सकीय अवधि के साथ					
क्रमांक	**विषय नाम**		**अध्यापन घंटे एवं संख्या**		
	विषय संकेतक	**समतुल्य सत्र**	**व्याख्यान**	**गैर व्याख्यान**	**योग**
1	एसआरयूजी -एँम जेड -II	स्मन-ज़स -II (भेषजगुण विज्ञान भाग -II)	100	200	300
2	एसआरयूजी -एँम बी	शि-जेद- स्मन -जर-थब्स (सोवा-रिग्पा औषधविज्ञान एवं निर्माण विद्या)	100	200	300
3	एसआरयूजी -एन टी -II	डो-सुंग–तग -II (सोवा-रिग्पा निदान भाग II)	100	150	250
4	एसआरयूजी -एस टी	सो-झेद-थब्स (सोवा रिग्पा चिकित्सकीय सिद्धान्त) प्रश्नपत्र - 1 प्रश्नपत्र -2	120	150	270
5	एसआरयूजी -टी पी	छद-पा-सोवा (ज्वर एवं संक्रामक रोगों का प्रबंधन) प्रश्न पत्र -1, 2	100	150	250
6	एसआरयूजी -एल डी	लुस-स्तोत -दंग- दोंन- स्रोत-सोवा (सिर, गर्दन, वक्ष और उदर विकारों का प्रबंधन)	120	150	270
7	एसआरयूजी -टीएस	थोर-नद-दंग-संग-नेद-सोवा (अवर्गीकृत रोग समूहो एवं प्रजनन स्वास्थ्य समस्यों का प्रबंधन) प्रश्न पत्र -1, 2	100	130	230
8	-	लो-ग्युक्स (मौखिक परीक्षा)	-	-	-
9	-	मन- ग्ग- ग्युद- डोंगडेम्स (अवधारणा का प्रतिचित्रण-III)	-	50	50
10	नैदानिक अवधि (प्रति दिन 1 घंटा) अस्पताल / औषधालय / प्रयोगशाला,		-	320	320
कुल योग			**740**	**1500**	**2240**

(विशेष: - उपस्थिति की गणना करते समय गैर-व्याख्यान वाले अवधि में संबंधित विषय के नैदानिक घंटे में जोड़े जाएंगे ।)

तालिका – 15

द्वितीय व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस. हेतु विषयवार प्रश्न पत्रों की संख्या और अंक वितरण

क्रमांक	**विषय**	**प्रश्न पत्र**	**सैद्धांतिक**	**प्रायोगिक या चिकित्सकीय (मूल्यांकन)**					**संपूर्ण योग**
				व्यावहारिक एवं नैदानिक	**मौखिक**	**ऐच्छिक**	**आईए**	**योग**	
1.	*स्मन-ज़स* -II (भेषजगुण विज्ञान भाग -II)	1	100	100	20	10 (संग्रह-एसए) *	20	150	250
2.	*शि-जेद-स्मन-जर-थब्स* सोवा-रिग्पा औषध विज्ञान एवं निर्माण विद्या)	1	100	100	30	-	20	150	250

3.	*ङो-सुंग–तग-* II (सोवा-रिग्पा निदान भाग-II)	1	100	100	30	-	20	150	250
4.	*सो-ज्ञेद-थब्स* (सोवा-रिग्पा चिकित्सकीय सिद्धान्त) प्रश्नपत्र-1 प्रश्नपत्र-2	2	200	100	30	-	20	150	350
5.	*छ्रद-पा-सोवा* (ज्वर एवं संक्रामक रोगों का प्रबंधन) प्रश्न पत्र-1, 2	2	200	100	20	10 संग्रह -एस बी)*	20	150	350
6.	*लुस-स्तोत -दंग-दोंन- स्रोत-सोवा* (सिर, गर्दन, वक्ष और उदर विकारों का प्रबंधन)	1	100	100	30	-	20	150	250
7.	*थोर-नद-दंग-संग-नेद-सोवा* (अवर्गीकृत रोग समूहो एवं प्रजनन स्वास्थ्य समस्यों का प्रबंधन) प्रश्न पत्र -1, 2	2	200	100	20	10 (संग्रह -एस सी) *	20	150	350
8	*लो-ग्युक्स* (मौखिक मौखिक परीक्षा)	-	-	-	80	-	20	100	100
9	*मन- ग्ग- ग्युद-डोंगडेम्स* (अवधारणा का प्रतिचित्रण -III)	-	-	-	80	-	20	100	100
सम्पूर्ण योग									**2250**

[* संग्रह: - बी.एस.आर.एम. एस द्वितीय व्यावसायिक के लिए ऐच्छिक विषय संग्रह]

तालिका – 16

तृतीय (अंतिम) बी.एस.आर.एम.एस व्यावसायिक विषयों के लिए शिक्षण अवधि

ततीय (अंतिम) बी.एस.आर.एम.एस *कार्य दिवस = 320, अध्यापन घंटे = 2240 (960) नैदानिक घंटे सहित*					
क्रमांक	**विषय नाम**		**शिक्षण घंटे एवं संख्या**		
			व्याख्यान	**गैर व्याख्यान**	**योग**
	विषय संकेतक	**समतुल्य सत्र**			
1	एसआरयूजी -एम एस	*मा -सोवा* (आपातकालीन आतंरिक बाह्य घावों का चिकित्सकीय का प्रबंधन) प्रश्न पत्र-1 और प्रश्न पत्र -2	140	90	230
2	एसआरयूजी -डी सी	चय्द-की-चोस-थब्स (शल्य एवं बाह्य चिकित्सा) प्रश्न पत्र -1 और प्रश्न पत्र -2	120	70	190

3	एसआरयूजी -एल एन	*जोङ- झेद-लेस-ङ* (पश्च चिकित्सकीय प्रक्रियाये)	80	70	150
4	एसआरयूजी - बी एस	*झी-नद-सोवा* (बाल रोग एवं नवजात देख भाल)	80	70	150
5	एसआरयूजी -एम ओं	*मो-नद-सोवा* (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	80	70	150
6	एसआरयूजी - डी ओं	*धोंन–नद-सोवा* (चिकित्सा मनोविज्ञान एवं मनश्चिकित्सा)	100	60	160
7	एसआरयूजी -डी एन	*धुग-नद-सोवा* (चिकित्सा न्याय शास्त्र एवं नैदानिक विष विज्ञान)	80	40	120
8	एसआरयूजी -जेड डी	*शिब-जुग-थब्स-लम्ब-दंग-दूरचिस* (शोध विधि एवं चिकित्सा सांखिकीय)	60	40	100
9	-	*लो-ग्युक्स (मौखिक* परीक्षा)	-	-	-
10	-	*छिमा-ग्युद-डोंग-डेम्स* (अवधारणा प्रतिचित्रण-4)	-	30	30
11	-	नैदानिक घंटे/प्रशिक्षण	-	960	960
योग			**740**	**1500**	**2240**

(विशेष: - उपस्थिति की गणना करते समय गैर-व्याख्यान वाले अवधि में संबंधित विषय के नैदानिक घंटे में जोड़े जाएंगे ।)

तालिका – 17

तृतीय व्यावसायिक (अंतिम) बी.एस.आर.एम.एस. हेतु विषयवार प्रश्न पत्रों की संख्या और अंक वितरण

क्रमांक	**विषय**	**प्रश्न पत्र**	**सैद्धांतिक**	**व्यावहारिक या नैदानिक मूल्याकन**					**सम्पूर्ण योग**
				व्यावहारिक या नैदानिक	**मौखिक**	**ऐच्छिक**	**आंतरिक मूल्यांकन**	**योग**	
1.	मा-सोवा (आपातकालीन आतंरिक बाह्य घावों का चिकित्सकीय का प्रबंधन) प्रश्न पत्र-1 और प्रश्न पत्र-2	2	200	100	20	10 (संग्रह - टी ए) *	20	150	350
2.	चय्द-की-चोस-थब्स (शल्य एवं बाह्य चिकित्सा) प्रश्न पत्र-1 और प्रश्न पत्र -2)	2	200	100	20	10 (संग्रह - टी बी) *	20	150	350
3.	जोङ- झेद-लेस-ङ (पश्च चिकित्सकीय प्रक्रियाये)	1	100	100	30	-	20	150	250
4.	झी-नद-सोवा (बाल रोग एवं नवजात देख भाल)	1	100	100	30	-	20	150	250

5.	मो-नद-सोवा (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	1	100	100	30	-	20	150	250
6.	धोंन–नद-सोवा (चिकित्सा मनोविज्ञान एवं मनश्चिकित्सा)	1	100	100	20	10 (संग्रह - टी सी) *	20	150	250
7.	धुग-नद-सोवा (चिकित्सा न्याय शास्त्र एवं नैदानिक विष विज्ञान)	1	100	100	30	-	20	150	250
8.	शिब-जुग-थब्स-लम्ब- दंग - दूरचिस (शोध विधि एवं चिकित्सा सांख्किीय)	1	100	-	30	-	20	50	150
9.	लो-ग्युक्स (मौखिक परीक्षा)	-	-	-	80	-	20	100	100
10.	छिमा- ग्युद- डोंग-डेम्स (अवधारणा प्रतिचित्रण -4)	-	-	-	80	-	20	100	100
सम्पूर्ण योग									**2300**

13. छात्रों का अध्ययन के मध्य स्थान्तरण: - (1) छात्रों को प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे कॉलेज में अपना अध्ययन जारी रखने के लिए प्रवास लेने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन असफल छात्र के स्थानांतरण और मध्यावधि प्रवास की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवास के लिए, छात्र को कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों की पारंपरिक सहमति प्राप्त करनी होगी और यह रिक्त सीट की सुनिश्चितता के पश्चात् होगा।

14. अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम- (ए) (i) प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि एक वर्ष की होगी जो सामान्य रूप से नियमित समूह के छात्रों के लिए अप्रैल के पहले कार्य दिवस और पूरक बैच के छात्रों के लिए अक्टूबर के पहले कार्य दिवस पर शुरू होगी

(ii) अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश में शामिल होने के लिए छात्र को प्रथम से अंतिम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण होने के बाद और उन्हें सम्बंधित विश्वविद्यालयों से अनंतिम योग्यता प्रमाण पत्र, संबंधित राज्य के परिषद से अंतरिम पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है ।

(बी) वृतिका: - प्रशिक्षण कार्यक्रम के समय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की संस्था से संबंधित प्रशिक्षुओं को संबंधित सरकार के तहत अन्य चिकित्सा प्रणाली के सामान वृतिका मिलेगी ताकी अन्य चिकित्सा प्रणालियों के बीच कोई विसंगति न होने पाए।

(सी) विशिखानुप्रवेश के दौरान स्थानांतरण :- (i) विशिखानुप्रवेश कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों की सहमति से होगा, उस मामले में जहाँ स्थानांतरण दो अलग-अलग विश्वविद्यालयों के कॉलेजों के बीच होता है;

(ii) यदि प्रवासन केवल एक ही विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के मध्य होता है, तो दोनों महाविद्यालयों की सहमति आवश्यक है ।

(iii) प्रवासन हेतु महाविद्यालय या संस्थान द्वारा जारी किये गए चरित्र प्रमाण पत्र या "अनापत्ति प्रमाण पत्र दोनों ही समान रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्वीकार किया जायेगा ।

(डी) अनुकूलन कार्यक्रम: - (i) शिक्षण संस्थानों की यह जिम्मेदारी होगी कि प्रशिक्षुओं को अनिवार्य रूप से अनुकूलन या अभिविन्यास कार्यक्रम अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश के पूर्व ही आयोजित करे ।

(ii) अनुकूलन कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूर्व चिकित्सक छात्र चिकित्सा सेवा के विभिन्न पहलुओं अर्थात्, चिकित्सा में नैतिकता, चिकित्सा- सम्बन्धी कानून, चिकित्सा अभिलेखों, चिकित्सा बीमा, चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्प्रेषण कौशल, आचरण के नियम, शिष्टाचार, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमो बारे में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है ।

(iii) प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले अनुकूलन कार्यक्रम की एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमे प्रत्येक छात्र को एक कार्यपंजिका रखना होगा जिसमे प्रत्येक तिथि या दिन के अनुसार गतिविधियों का विवरण लिखना आवश्यक होगा।

(iv) अनुकूलन कार्यशाला की अवधि सात दिनों की होगी जो एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा होगा ।

(v) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुकूलन कार्यशाला हेतु समय -समय पर एक नियम पुस्तिका निर्धारित करेगी जिसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

(इ) विशिखानुप्रवेश के दौरान की गतिविधियां: - (i) प्रशिक्षण अवधि में दैनिक कार्य काल कम से कम 8 घंटे होगे, और इस से कम नहीं होंगे; प्रशिक्षण के दौरान सभी छात्रों को कार्यपंजिका में अपनी गतिविधियों को लिखना होगा ।

(ii) सामान्यतः एक वर्ष की विशिखानुप्रवेश अवधि निम्नानुसार होगी-

(ए) विकल्प I.- प्रशिक्षण अवधि दो भागो में विभाजित होगा पहले सोवा-रिग्पा संस्थान से सम्बद्ध अस्पताल में 6 महीने तथा दूसरे 6 महीने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी.एच.सी) या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल (सामाजिक) अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा का कोई सरकारी अस्पताल या सरकारी सोवा-रिग्पा औषधालय के नैदानिक प्रशिक्षण में विभाजित या आधुनिक चिकित्सा का कोई सरकारी अस्पताल या सरकारी सोवा-रिग्पा औषधालय/अस्पताल या अन्य सोवा-रिग्पा संस्थान या से जुड़े चिकित्सालय ।

(बी) विकल्प II: - सभी बारह महीने महाविद्यालय से जुड़े सोवा-रिग्पा अस्पताल में।

(iii) 6 या 12 महीने का नैदानिक प्रशिक्षण, कार्यक्रम के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने महाविद्यालय से जुड़े सोवा-रिग्पा अस्पताल में या निर्धारित गैर-शिक्षण अस्पतालों में निम्नलिखित तालिका अनुसार आयोजित किया जाएगा अर्थात्:-

तालिका – 18

महाविद्यालय युक्त सोवा-रिग्पा शिक्षण अस्पताल में विशिखानुप्रवेश अवधि का वितरण

क्रमांक	विभाग	विकल्प I	विकल्प II
1.	लूस-नद (सामन्य औषधि चिकित्सा)	पैतालीस दिन	तीन माह
2.	चय्द-जोङ (बाह्य एवं शल्य चिकित्सा)	पैतालीस दिन	तीन माह
3.	झी-नद- दंग- मो-नद (बाल एवं स्त्री रोग)	पैतालीस दिन	तीन माह
4.	धोंन–नद-दंग-धुग-नद (नैदानिक मनोविज्ञान एवं विष चिकित्सा विज्ञान)	पैतालीस दिन	तीन माह
5.	अधिनियम 14 के उप-नियम (ई) के खंड (ii) में उल्लिखित पी.एच.सी, सी.एच.सी, जिला अस्पताल, आदि	छ माह	--

(iv) (ए) प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित में से किसी भी पर केंद्र में तैनात किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, और ये नियुक्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के किर्यान्वयन के संबंध में उन्मुख और ज्ञान प्राप्त करने के लिए होगी।

(ए) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र;

(बी) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जनता अस्पताल या जिला अस्पताल;

(सी) आधुनिक चिकित्सा के किसी भी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित अस्पताल;

(डी) कोई मान्यता प्राप्त या अनुमोदित सोवा-रिग्पा अस्पताल या औषधालय;

(ई) सोवा-रिग्पा के राष्ट्रीय संस्थान की एक नैदानिक इकाई में;

(बी) उपरोक्त सभी संस्थानों को खंड (ए) से (ई) में इस तरह का प्रशिक्षण देने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा नामित या प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

(v) प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय से जुड़े अस्पताल में संबंधित विभाग में निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन करेगा, यथा : -

(ए) सोवा-रिग्पा पद्धति द्वारा नाड़ी विश्लेषण, मूत्रालय, मल परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, मरीज का परीक्षण, नैदानिक जांच, निदान और सामान्य रोगों के प्रबंधन में प्रशिक्षण ।

(बी) आहार- व्यवहार प्रबंधन, दैनिक दिनचर्या में संतुलन जैसी उपचार विधियों के साथ दीर्घकालिक परीक्षण के माध्यम से रोगी का व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिगत उपचार;

(सी) शिशुओं के कानों पर रक्त नलिकायो की जांच, बच्चों के मूत्र का विश्लेषण, उल्टी का विश्लेषण कर आहार एवं दवा के माध्यम से बाल रोग का निदान तथा उपचार;

(डी) नाड़ी, मूत्र परीक्षण, रोगी को देखकर पूछताछ, और रोगी के स्त्री के शरीर का परीक्षण कर स्त्री रोग संबंधी विकारों का निदान एवं उपचार ;

(ई) शल्य उपचार का प्रशिक्षण जैसे- स्वर्ण सुई चिकित्सा, ताम्र चषकन (चिपकाना) के माध्यम से उपचार, त्वचा प्रतिअड़चन (मोक्साबस्टन) का उपयोग, रक्त मोक्षण चिकित्सा, औषधीय स्नान , मालिश चिकित्सा और वसंत जल चिकित्सा;

(एफ) कुछ अन्य बीमारियों का प्रबंधन जैसे कि मामूली टूट-फूट और आंतरिक और बाहरी घाव से शरीर में अव्यवस्था आदि का प्रबंधन,

(जी) क्रमवार पांच चिकित्सीय प्रक्रियाओं के वास्तविक अनुप्रयोग में प्रशिक्षण

(i) तेल चिकित्सा का वास्तविक अनुप्रयोग रोगी और विकार की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के तेल के तैयार करना।

(ii) रोगी को उल्टी, शुद्धिकरण करने हेतु विरेचक आदि का प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(iii) नास्य चिकित्सा के लिए नाक का अन्य अंगो के साथ संयोजन को समझना तथा उसके अनुप्रयोग हेतु प्रशिक्षण देना ।

(iv) गुद्वस्ति के लिए विभिन्न प्रकार के योग होते है किस समस्या हेतु कौन से गुद्वस्ति योग का प्रयोग किस आधार पर कैसे लगाया जाने से लाभ होगा इसका एनीमा लगाया जाना चाहिए प्रशिक्षण देना ।

(v) आतंरिक शरीर की सफाई चिकित्सा हेतु किस मार्ग का प्रयोग उपयुक्त होगा इसके लिए मौसम, स्थान आदि को ध्यान में रखकर प्रयोग करने का प्रशिक्षण ।

(vi) प्रशिक्षु अपने नियमित कार्यो के अलावा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के लिए निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा करेगा ।

(vii) प्रशिक्षु चिकित्सक इन सभी का प्रशिक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या जनता अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल या सोवा-रिग्पा अस्पताल या औषधालय में करेगे । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छह महीने के इंटर्नशिप प्रशिक्षण के दौरान या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा का कोई सरकारी अस्पताल या सोवा-रिग्पा औषधालय या अस्पताल या अन्य सोवा-रिग्पा संस्थान या महाविध्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय से प्रशिक्षण प्राप्त करेगे ।

(ए) प्रशिक्षु चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दिनचर्या और अभिलेख रखरखाव के से परिचित होना ।

(बी) सुदूरवर्ती क्षेत्रों और ग्रामीण अंचल में अधिक प्रचलित बीमारियों और उनके प्रबंधन से परिचित होना ।

(सी) ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य देखभाल तथा विभिन्न प्रकार के टीकाकरण कार्यक्रमों में शामिल हो उनकी विधियों के बारे में शिक्षण प्राप्त करना ।

(डी) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अन्य अस्पतालों के चिकित्सा या गैर-चिकित्सा कर्मचारियों के नियमित सम्पर्क में रहते हुये उनके कामकाज से परिचित होना चाहिए ।

(ई) सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं या कार्यक्रमों से परिचित होने तथा सक्रिय भागीदारी के लिए प्रशिक्षु चिकित्सको एक प्रासंगिक दैनिक पंजिका रखनी चाहिए जैसे रोगी पंजिका , परिवार नियोजन पंजिका, शल्य पंजिका आदि ।

(एफ) राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना ।

(जी) प्रशिक्षु चिकित्सको को सोवा-रिग्पा निदान, उपचार, बाह्य उपचार प्रक्रिया, विशेष उपचार विधिया, विशेषता बहिरंग मरीज प्रतिवेदन, अनुसंधान, आदि में प्रशिक्षित करना।

(viii) कार्यपंजिका - (ए) एक प्रशिक्षु के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर उसके द्वारा की गई प्रक्रियाओं या सहायता या निरीक्षण का रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षु काम का रिकॉर्ड बनाए रखेगा, जिसे चिकित्सा अधिकारी या उस विभाग या इकाई के प्रमुख द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया जाएगा जिसके तहत वह काम करता है।

(बी) प्रशिक्षु चिकित्सक को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में अपने से संबंधित प्राधिकारी संकाय प्रमुख या प्रधानाचार्य या निदेशक को विधिवत प्रमाणित सभी पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत करना होता है विफल रहने पर प्रशिक्षण अवधि के किसी भी या सभी विषयों में उसके प्रदर्शन या प्रशिक्षण के परिणाम अमान्य किया जा सकता है ।

(ix) विशिखानुप्रवेश का मूल्यांकन:- (ए) मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा उम्मीदवार के कौशल का आकलन इस आधार पर किया जायेगा जिन उद्देश्य के साथ न्यूनतम प्रक्रियाओं को सीखा है उसे सीखने के बाद अपने वास्तविक अभ्यास में किस स्तर तक प्रयोग करने में सफल होगा ।

(बी) प्रत्येक नियुक्ति के अंत में संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा जो अनुलग्नक- III के तहत अभिरूप -1 में संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत की जाएगी।

(सी) सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम सहित अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश (रोटेटरी) के एक वर्ष के पूरा होने पर, संस्थान के प्रमुख अंत में अनुबंध- III के तहत निर्धारित अभिरूप -1 के अनुसार विभाग के विभिन्न प्रमुखों द्वारा प्रदान किए गए सभी प्रतिवेदन का मूल्यांकन करते हैं । संबंधित नियुक्ति यदि संतोषजनक है, तो) प्रशिक्षु चिकित्सक को सात कार्य दिवसों के भीतर अनुबंध- IV के तहत अभिरूप (फॉर्म) -2 में प्रशिक्षण पूर्ण होने प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(डी) यदि किसी उम्मीदवार का प्रदर्शन 15 अंक से कम या 50% से कम अंक है तो उसे अनुलग्नक- III के तहत फॉर्म -1 असंतोषजनक घोषित किया जायेगा । उसे पुनः उस विभाग में कुल निर्धारित दिनों की संख्या के 30% दिनों के लिए फिर से नियुक्त किया जायेगा ।

(ई) किसी भी उम्मीदवार को मूल्यांकन प्रक्रिया, अंक प्रदान करने के तरीके किसी भी पहलू में अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा । संबंधित विभाग के प्रमुख और संस्थान के प्रमुख को अलग-अलग, उसकी शिकायत का निवारण शिकायत की तारीख से तीन दिनों के भीतर करना होगा। अथवा संस्था के प्रमुख ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विभाग के प्रमुख के परामर्श से शिकायत का मूल्यांकन कर के सात कार्य दिवसों के भीतर सौहार्दपूर्ण तरीके से शिकायत का निवारण करेंगे।

(x) प्रशिक्षु चिकित्सक के लिए अवकाश:- (ए) एक वर्ष की अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश के दौरान, कुल बारह छुट्टियों होगी । बारह दिनों से अधिक अवकाश आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाएगा।

(बी) प्रशिक्षु चिकित्सक एक बार में किसी भी परिस्थिति में 6 दिनों से अधिक की छुट्टी नहीं ले सकता है।

(xi) प्रशिक्षण समापन: - यदि किन्ही अपरिहार्य स्थितियों के कारण प्रशिक्षण प्रारंभ होने में या प्रशिक्षण के दौरान व्योवधान आने या विलम्ब होने, पर तो ऐसे मामलों में प्रशिक्षण अवधि की तीसरी (अंतिम) की अर्हक परीक्षा (प्रशिक्षण के पात्र व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस. सभी परीक्षा पात्रता के रूप में निर्दिष्ट पहली और दूसरी व्यावसायिक परीक्षा सहित सभी नौ ऐच्छिक विषयों) के तीन वर्षो के अवधि में पूरा करना अनिवार्य होगा ।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में, छात्र को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में संस्थान के प्रमुख से पूर्व अनुमति लेनी होगी और अनुमति पत्र जारी करने से पहले दस्तावेजों की जांच करने और अनुरोध की वास्तविक प्रकृति का आकलन करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख होगी। विशिखानुप्रवेश में शामिल होने के दौरान, छात्र को सहायक दस्तावेजों के साथ अनुरोध पत्र, और नियम 14 के उप-विनियम (ए) में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा और नियम 14 के उप-विनियम (डी) में उल्लिखित विशिखानुप्रवेश अभिविन्यास कार्यक्रम से गुजरना होगा।

15. शिक्षण शुल्क: - शुल्क निर्धारण संबंधित प्रबंध निकाय या शुल्क निर्धारण समितियों द्वारा किया जायेगा निर्धारित शिक्षण शुल्क केवल साढ़े चार साल के लिए लिया जाएगा । परीक्षाओं में असफल होने की स्थिति में अध्ययन की विस्तारित अवधि के लिए कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी अन्य कारण से और उसी संस्थान में प्रशिक्षण करने पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

16. शैक्षणिक कर्मचारियों की योग्यता और अनुभव: - (ए) आवश्यक योग्यता: - (i) (ए) उसके पास किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से मेन्पा कचुपा या सोवा-रिग्पा में स्नातक उपाधि होनी चाहिए या इसके समकक्ष जो अधिनियम के तहत पूर्ववर्ती केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा हो ।

(बी) वांछनीय योग्यता: - अधिनियम के तहत पूर्व की केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सोवा-रिग्पा में मेनरम्पा या स्नातकोत्तर योग्यता; तथा

(ii) संबंधित राज्य की परिषद के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह कार्यरत है (जहां लागू हो) या एक वैध केंद्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र पूर्व केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद या आचार एवं पंजीयन बोर्ड भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के तहत भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत ।

"यह नियम गैर-चिकित्सा योग्यता वाले शिक्षकों के लिए लागू नहीं है ।"

(iii) भोटी भाषा और सोवा-रिग्पा मेडिकल ज्योतिष के विषयों के लिए शिक्षकों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / पंजीकृत मठवासी या संबंधित विषय में अन्य संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि स्वीकार्य ।

(iv) नई शिक्षक नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा जब से वह लागू होगा, हालांकि, यह नियम 16 के उप-अधिनियम के खंड (iii), उप-अधिनियम के तहत (ए) में उल्लिखित शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा।

(बी) अनुभव:- (i) आचार्य के पद हेतु: - (ए) स्नातकोत्तर योग्यता वाले शिक्षकों के लिए नियमित शिक्षक के रूप में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव या नियमित सह आचार्य या रीडर के रूप में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव आवश्यक है।

(बी) स्नातक योग्यता वाले शिक्षकों के लिए नियमित शिक्षक के रूप में तेरह वर्ष का शिक्षण अनुभव या नियमित आधार पर सह आचार्य या रीडर के रूप में आठ वर्ष का शिक्षण अनुभव आवश्यक है।

(ii) सह आचार्य पद के लिए:- (ए) स्नातकोत्तर योग्यता वाले शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर पांच साल का शिक्षण अनुभव आवश्यक है।

(बी) स्नातक योग्यता वाले शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर आठ साल का शिक्षण अनुभव आवश्यक है।

(iii) सहायक आचार्य हेतु:- किसी भी शिक्षण अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि न्यूनतम दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव अनिवार्य है, पहली नियुक्ति के समय आयु पैंतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(iv) अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी के शिक्षक के लिए योग्यता: - चिकित्सा सांख्यिकी या जैव सांख्यिकी या महामारी विज्ञान या अनुसंधान पद्धति या चिकित्सा सांख्यिकी के अन्य प्रासंगिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होगी और उन्हें अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जायेगा और वह विभाग के तहत काम *धोंन–नद-दंग-धुग-नद* उन्हें शिक्षक कोड प्रदान नहीं किया जाएगा।

(v) योग प्रशिक्षक (पूर्णकालिक) के लिए योग्यता न्यूनतम स्नातक और योग में प्रशिक्षित होना चाहिए और वह था मल नाद मेड डांग ब्रैग थाब्स विभाग के तहत काम करेगा और योग प्रशिक्षक के पद के लिए शिक्षक का कोड नहीं होगा।

(vi) भोटी भाषा और सोवा-रिग्पा चिकित्सा ज्योतिष विषयों के लिए नियुक्त सह शिक्षक आचार्य के पद के लिए सात साल के शिक्षण अनुभव और बारह साल के शिक्षण अनुभव के बाद आचार्य के पद के लिए पात्र होंगे । ऐसे शिक्षक विभाग के प्रमुख के साथ-साथ संस्थान के प्रमुख पद के लिए पात्र नहीं होंगे।

(vii) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (विद्या वाचस्पति) (पीएचडी) का शोध अनुभव - जिस तिथि से शोध प्रारम्भ करते है उसी दिन से लेकर शोध प्रबंध जमा करने की तिथि तक इसे शोध अनुभव के रूप में लिया जायेगा परन्तु इसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी इसे शिक्षण अनुभव के रूप में भी लिया जायेगा परन्तु पूर्णकालिक शोधार्थी का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा विश्वविद्यालय को थीसिस जमा करने के प्रमाण को इस संबंध में साक्ष्य के रूप में माना जाएगा।

(viii) अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति या अस्थायी पदोन्नति पर पात्रता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(सी) संस्थान के प्रमुख के पद के लिए योग्यता और अनुभव: - संस्थान के प्रमुख (प्राचार्य या संकाय प्रमुख या निदेशक) के पद के लिए योग्यता और अनुभव वही योग्यता और अनुभव होगी जो आचार्य के पद के लिए है तथा न्यूनतम तीन साल का प्रशासनिक अनुभव (उप प्रधानाचार्य या विभाग के प्रमुख) उप चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा अधीक्षक आदि) जैसा की निर्दिष्ट है ।

(डी) वेतन - सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान या सरकारी मान्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए, शिक्षक को गैर-अभ्यास भत्ता सहित वेतन और भत्ते का भुगतान केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो और चिकित्सा प्रणालियों के बीच वेतन संरचना में कोई विसंगति नहीं होगी।

(ई) शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु:- शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के आदेश के अनुसार होगी और सेवानिवृत्त शिक्षकों को शिक्षकों की पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली आयु तक पुन: नियोजित किया जा सकता है। पैंसठ वर्ष की आयु तक पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में।

(एफ) यूनिक शिक्षक कोड:- (i) सभी पात्र शिक्षकों के लिए एक **यूनिक** शिक्षक कोड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा महाविद्यालय में नियुक्ति के बाद ऑनलाइन शिक्षक प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आवेदन करने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर आवंटित किया जाएगा। ऐसे सभी शिक्षकों के विभाग में शामिल होने और पदोन्नति या राहत या स्थानांतरण की सुविधा और निगरानी ऑनलाइन शिक्षक प्रबंधन प्रणाली (ओ.टी.एम.एस) के माध्यम से की जाएगी।

(ii) संस्थान और शिक्षक पदोन्नति, विभाग स्थानांतरण, कार्यमुक्ति आदि के संबंध में समय-समय पर ऑनलाइन शिक्षक प्रबंधन प्रणाली (ओटीएमएस) में (प्रोफाइल) प्रालेख को नवीनीकृत करेंगे।

(जी) आयोग के पास नैतिक और अनुशासनात्मक आधार पर शिक्षक कोड को वापस लेने की शक्ति निहित होगी।

(एच) यदि शिक्षक अध्यापन व्यवसाय को छोड़ देता है और किसी भी कारण से किसी दूसरी संस्था में भी शामिल नहीं होता है तो आयोग को शिक्षक कोड को वापस लेने की शक्ति निहित होगी और फिर वह शिक्षण में शामिल होना चाहे तो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग उसी शिक्षक कोड को पुनः शिक्षण के लिए आवंटित कर देगा ।

(आई) शिक्षक की उपस्थिति:- शिक्षक को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों और आदेशों का पालन करना होगा उनके के लिए वर्ष तिथि पत्र कार्य दिवसों के दौरान कम से कम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है ।

(जे) संकाय सदस्य का विकास और प्रशिक्षण:- हर तीन साल में एक बार शिक्षकों को चिकित्सा अध्यापन तकनीकी (एम.ई.टी) या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (क्यूआईपी) से गुजरना होगा, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या नामित प्राधिकारी द्वारा संचालित किया जायेगा ।

17. सोवा-रिग्पा में परीक्षक की नियुक्ति:- नियमित या सेवानिवृत्त शिक्षक के अलावा कोई भी व्यक्ति न्यूनतम जो तीन साल के शिक्षण अनुभव रखता हो वह परीक्षक बन सकता है तथा परीक्षक की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।

डॉ. बी एल. मेहरा, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./409/2022-23]

अनुलग्नक -I

ए. प्रथम व्यावसायिक शैक्षणिक कैलेंडर का संभावित नमूना

बी.एस.आर.एम.एस. (18 महीने)

क्रमांक	दिनांक/अवधि	शैक्षणिक गतिविधि
1.	अक्टूबर का प्रथम कार्य दिवस	पाठ्यक्रम प्रारंभ
2.	15 कार्य दिवस	प्रेरण कार्यक्रम और संक्रमणकालीन पाठ्यचर्या
3.	मार्च का चौथा सप्ताह	पहला आंतरिक मूल्यांकन
4.	मई में तीन सप्ताह	गर्मी की छुट्टी
5.	सितंबर का चौथा सप्ताह	दूसरा आंतरिक मूल्यांकन
6.	फरवरी का पहला और दूसरा सप्ताह	परीक्षा तैयारी की छुट्टियां
7.	फरवरी के तीसरे सप्ताह के आगे	विश्वविद्यालय परीक्षा
8.	**अप्रैल का पहला कार्य दिवस**	**द्वितीय व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस सत्र का प्रारंभ**

विशेष	(1) विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय छात्रों के उस वर्ग विशेष का शैक्षणिक कलैण्डर (तिथि पत्रिका) तैयार करते समय दिनांक और वर्ष निर्दिष्ट करेंगे। इसे छात्रों को सूचित किया जाना है, संबंधित वेबसाइटों में प्रदर्शित किया जाना है और उनका पालन किया जाना है। (2) अत्यधिक मौसम ख़राब की स्थिति में स्थापित संस्थान / कॉलेज शिक्षण के निर्धारित घंटों को बनाए रखते हुए अवकाश को आवश्यकतानुसार समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, शैक्षणिक कैलेंडर की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

बी. द्वितीय व्यावसायिक शैक्षणिक कैलेंडर का संभावित नमूना

बी.एस.आर.एम.एस. (18 महीने)

क्रमांक	**दिनांक/अवधि**	**शैक्षणिक गतिविधि**
1.	अप्रैल का प्रथम कार्य दिवस	पाठ्यक्रम प्रारंभ
2.	सितम्बर का चौथा सप्ताह	पहला आंतरिक मूल्यांकन
3.	मार्च का चौथा सप्ताह	दूसरा आंतरिक मूल्यांकन
4.	मई में तीन सप्ताह	गर्मी की छुट्टी
5.	अगस्त का पहला और दूसरा सप्ताह	परीक्षा तैयारी की छुट्टियां
6.	अगस्त के तीसरे सप्ताह के आगे तक	विश्वविद्यालय परीक्षा
7.	***अक्टूबर का पहला कार्य दिवस***	***तृतीय व्यावसायिक बी.एस.आर.एम.एस सत्र का प्रारंभ***
विशेष	(1) विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय छात्रों के उस वर्ग विशेष का शैक्षणिक कलैण्डर (तिथि पत्रिका) तैयार करते समय दिनांक और वर्ष निर्दिष्ट करेंगे। इसे छात्रों को सूचित किया जाना है, संबंधित वेबसाइटों में प्रदर्शित किया जाना है और उनका पालन किया जाना है। (2) अत्यधिक मौसम ख़राब की स्थिति में स्थापित संस्थान / कॉलेज शिक्षण के निर्धारित घंटों को बनाए रखते हुए अवकाश को आवश्यकतानुसार समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, शैक्षणिक कैलेंडर की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।	

सी. तृतीय व्यावसायिक शैक्षणिक कैलेंडर का संभावित नमूना

बी.एस.आर.एम.एस. (18 महीने)

क्रमांक	**दिनांक/अवधि**	**शैक्षणिक गतिविधि**
1.	अक्टूबर का प्रथम कार्य दिवस	पाठ्यक्रम प्रारंभ
2.	मार्च का चौथा सप्ताह	पहला आंतरिक मूल्यांकन
3.	मई में तीन सप्ताह	गर्मी की छुट्टी
4.	सितंबर का चौथा सप्ताह	दूसरा आंतरिक मूल्यांकन
5.	फरवरी का पहला और दूसरा सप्ताह	परीक्षा तैयारी की छुट्टियां
6.	फरवरी के तीसरे सप्ताह के आगे तक	विश्वविद्यालय परीक्षा
7.	***अप्रैल का पहला कार्य दिवस***	***विशिखानुसार का प्रशिक्षण प्रारंभ***
विशेष	(1) विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय छात्रों के उस वर्ग विशेष का शैक्षणिक कलैण्डर (तिथि पत्रिका) तैयार करते समय दिनांक और वर्ष निर्दिष्ट करेंगे। इसे छात्रों को सूचित किया जाना है, संबंधित वेबसाइटों में प्रदर्शित किया जाना है और उनका पालन किया जाना है। (2) अत्यधिक मौसम ख़राब की स्थिति में स्थापित संस्थान / कॉलेज शिक्षण के निर्धारित घंटों को बनाए रखते हुए अवकाश को आवश्यकतानुसार समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, शैक्षणिक कैलेंडर की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।	

अनुलग्नक -II

उपस्थिति रखरखाव के लिए दिशानिर्देश

(सिद्धांत/व्यावहारिक/नैदानिक/गैर-व्याख्यान की अवधि)

भारतीय चिकित्सा पद्धति में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों/महाविद्यालयों को ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली को बनाए रखने की सिफारिश की जाती है। हालांकि, यदि विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण गतिविधियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए भौतिक पंजिका का प्रयोग हो रहा हैं, तो निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना है, यथा : -

(1) उपस्थिति को संचयी क्रमांकन आकर में निम्नानुसार चिह्नित किया जाना है-

(ए) यदि उपस्थिति को 1, 2, 3, 4, 5, 6..... के रूप में चिह्नित किया जाना है;

(बी) अनुपस्थिति के मामले में, इसे 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए;

(सी) उदाहरण: पी पी पी पी ए पी पी ए ए पी पी पी के स्थान पर (1, 2, 3, 4, ए 5, 6, ए ए 7, 8, 9...) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

(2) उपस्थिति के लिए 'पी' प्रयोग करने से बचें।

(3) सिद्धान्त और व्यावहारिक /नैदानिक/गैर-व्याख्यान गतिविधियों के लिए अलग पंजिका रखा जाना है।

(4) सत्र या विषय या पाठ्यक्रम के या महीने के अंत में कुल उपस्थिति की अंतिम संख्या रूप में लेना चाहिए ।

(5) छात्रों के हस्ताक्षर के बाद कुल उपस्थिति को संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाना है जिसके बाद प्रधानाचार्य द्वारा अनुमोदन किया जाना है।

(6) कई पदों के मामले में, व्यावसायिक सत्र के अंत में सभी अवधि की उपस्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना है और प्रतिशत की गणना **सिद्धांत** और **व्यावहारिक / नैदानिक** (सभी गैर-व्याख्यान घंटों सहित) के लिए अलग से की जानी है।

अनुलग्नक-III

प्रपत्र 1

[देखे अधिनियम 14(इ) (ix) (बी, सी, डी) देखें]

(महाविद्यालय का नाम और पता)

मेनपा कचुपा (बैचलर आफ सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी)

विभाग _____

<u>विशिखानुप्रवेश की उपस्थिति और मूल्यांकन का प्रमाण पत्र</u>

पंजीकरण संख्या :

प्रशिक्षु चिकित्सक नाम :

प्रशिक्षण अवधि की उपस्थिति

प्रशिक्षण अवधि: से _____ तक _____

(ए) कार्य दिवस की संख्या:

(बी) उपस्थिति दिवस की संख्या:

(सी) छुट्टी दिवस की संख्या

(डी) अनुपस्थिति दिवस की संख्या:

विशिखानुप्रवेश का मूल्यांकन

क्रमांक	**श्रेणी**	**प्राप्तांक**
1.	**सामन्य**	**अधिकतम 10**
ए .	जिम्मेदारी और समयबद्धता	(___) 2 में से
बी .	अधीनस्थों, सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ व्यवहार	(___) 2 में से
सी .	प्रलेखीकरण क्षमता	(___) 2 में से
डी .	चरित्र और आचरण	(___) 2 में से
ई .	शोध कौशल	(___) 2 में से
2.	**नैदानिक**	**अधिकतम 20**
ए .	मूल विषय के सिद्धांतों में प्रवीणता	(___) 4 में से
बी.	रोगी शैय्या के पास का शिष्टाचार एवं रोगी के साथ तालमेल	(___) 4 में से
सी.	नैदानिक कुशाग्रता और योग्यता अधिग्रहित जैसे	
i.	प्रक्रियाओं के प्रदर्शन द्वारा	(___) 4 में से
ii.	प्रक्रियाओं में सहयोग द्वारा	(___) 4 में से
iii.	प्रक्रियाओं के अनुपालन करके	(___) 4 में से
	कुल प्राप्तांक	**(____) 30 में से**

अंकों के आधार पर श्रेणी

खराब <8, औसत से नीचे 9-14, औसत 15-21 अच्छा, 22 -25, और 26 से ऊपर उत्कृष्ट

विशेष : एक प्रशिक्षु ने 15 से कम अंक प्राप्त किया है तो इसे असंतोषजनक मान कर, संबंधित विभाग में नियुक्ति की कुल अवधि के एक तिहाई समय को दोहराने की आवश्यकता होगी ।

प्रशिक्षु के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

कार्यालय की मुहर

अनुलग्नक -IV

प्रपत्र 2

[देखे अधिनियम 14(इ)(ix) (सी)]

(महाविद्यालय का नाम और पता)

मेनपा कचुपा (सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी - बी.एस.आर.एम.एस.)

अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश के समापन का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि (प्रशिक्षु का नाम) प्रशिक्षण (महाविद्यालय का नाम और पता) ने एक वर्ष की अवधि के लिए (महाविद्यालय का नाम और पता /नियुक्ति का स्थान) पर अपनी अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश पूरी कर ली/ ला है। निम्नलिखित विभागों में _____ से _____ तक वर्ष;

क्रमांक	विभाग का नाम / संस्थान	प्रशिक्षण की अवधि से (दिनांक /माह /वर्ष)	प्रशिक्षण की अवधि से (दिनांक /माह /वर्ष)

विशिखानुप्रवेश अवधि के समय छात्र का आचरण ..... है।

प्रधानाचार्य/संकायाध्यक्ष/निदेशक के हस्ताक्षर **कार्यालय मुहर**

दिनांक :

स्थान :

[**विशेष :** यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकोत्तर सोवा-रिग्पा शिक्षा का न्यूनतम मानक) अधिनियम 2022 के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा]

THE NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2022

F. No. 18-12/2022-BUSS (SOWA-RIGPA-UG-MSE).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 55 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of under-graduate Sowa-Rigpa Medical Education) Regulation, 2017 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Commission hereby makes the following regulations, namely:-

1.Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the **National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standard of Undergraduate Sowa-Rigpa Education) Regulations, 2022.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(i) "Act" means the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020);

(ii) "Annexure" means an annexure appended to these regulations;

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3. Bachelor of Sowa-Rigpa Medicine and Surgery programme.-The Bachelor of Sowa-Rigpa education namely, the Bachelor of Sowa-Rigpa Medicine and Surgery (B.S.R.M.S.) shall produce Graduates, having profound knowledge of Sowa-Rigpa Medicine along with the contemporary advances in the field of Sowa-Rigpa Medicine supplemented with knowledge of scientific and technological advances in modern science and technology along with extensive practical training, as an efficient physicians and surgeons for the health care services.

4. Eligibility for admission.- (1) The eligibility to seek admission in Bachelor of Sowa-Rigpa Education (Bachelor of Sowa-Rigpa Medicine and Surgery) shall be as under,-

(a) (i) The candidate shall have passed 10+2 with Science (Physics, Chemistry and Biology) or any other 10+2 equivalent qualifications of other streams recognised by concerned State Government or Central Government education boards and shall have obtained minimum of fifty per cent. marks taken in the case of General category and forty per cent. marks in the cases of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes; or

(ii)10+2 or equivalent qualifications with Bhoti language, Buddhist philosophy and logic recognised by State Government or Central Government education boards shall have obtained minimum of fifty per cent. marks taken

in the case of General category and forty per cent. marks in the cases of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes; or

(iii) for foreign candidate with any other equivalent qualification approved by the University or the Central Government.

(b) No candidate shall be admitted to B.S.R.M.S. Degree programme unless he or she has attained the age of seventeen years on or before the 31st December of the year of his or her admission in the first year of the under-graduate programme.

(2) National Eligibility-cum-Entrance Test.- (a) There shall be a uniform entrance examination for all Sowa-Rigpa medical institutions at the under-graduate level, namely, the "National Commission for Indian System of Medicine - National Eligibility- cum- Entrance Test for Sowa-Rigpa (NCISM-NEET SR UG)" admission to under-graduate programme in each academic year and shall be conducted by an authority or institute or agency designated by the National Commission for Indian System of Medicine.

(b) In order to consider for admission to under-graduate programme for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at fifty per cent. in the National Commission for Indian System of Medicine-National Eligibility-cum-Entrance Test for Sowa-Rigpa (NCISM-NEET SR UG) under-graduate programme held for the said academic year:

Provided that in respect of, candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at forty per cent.;

Provided further that the power of reducing or increasing the minimum marks required for admission to undergraduate programme for candidates shall be vested with the commission for that academic year only.

(3) An All-India common merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the National Commission for Indian System of Medicine -National Eligibility-cum-Entrance Test for Sowa-Rigpa (NCISM-NEET SR UG) and the candidates shall be considered for admission to under-graduate programme from the said merit lists only.

(4) The counselling for admission to Bachelor of Sowa-Rigpa Medicine and Surgery Programme shall be conducted by Sowa-Rigpa Central Counselling Committee (SRCCC) constituted by the National Commission for Indian System of Medicine in this behalf and in this process the policy on reservation of the concerned state (if any) in the admission of Sowa-Rigpa under-graduate Programme shall be considered.

(5) (i) Direct admission by any means other than above specified shall not be approved;

(ii) The institution shall have to submit the list of students admitted in the format specified by National Commission for Indian System of Medicine on or before 6 pm on the cut-off date for admission, specified by National Commission for Indian System of Medicine from time to time for verification;

(iii) After verification, the approved list of admitted students shall be allotted unique AYUSH ID and it shall be the reference number for all academic and professional activities of him or her in future;

(iv) Universities shall approve the admission of those candidates who have been allotted through counselling.

(6) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks under these regulations shall be admitted to under-graduate programme in the said academic year.

(7) No authority or institution shall admit any candidate to the under-graduate programme in contravention of the criteria or procedure laid down in these regulations in respect of admission and any admission made in contravention of the said criteria or procedure, such admission shall not be approved by the National Commission for Indian System of Medicine.

(8) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the criteria or procedure laid down in these regulations shall be dealt as specified under section 28 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020.

5. Duration of B.S.R.M.S. programme.- The duration of the B.S.R.M.S. programme shall be five years and six months as per the following table, namely;

Table – 1

Duration of B.S.R.M.S. Programme

Sl. No.	B.S.R.M.S. Programme	Duration
(a)	First Professional B.S.R.M.S.	Eighteen Months
(b)	Second Professional B.S.R.M.S.	Eighteen Months
(c)	Third (Final) Professional B.S.R.M.S.	Eighteen Months
(d)	Compulsory Rotatory Internship	Twelve Months

6. Degree to be awarded.- The candidate shall be awarded Menpa Kachupa (Bachelor of Sowa-Rigpa Medicine and Surgery – B.S.R.M.S.) Degree after passing all the examinations and completion of the laid down programme of study extending over the laid down period and the compulsory rotatory internship extending over twelve months and the nomenclature of Degree shall be **Menpa Kachupa (Bachelor of Sowa-Rigpa Medicine and Surgery – B.S.R.M.S.).**

7. Medium of instruction.- The medium of instruction for the programme shall be Bhoti language.

8. Pattern of study.-The B.S.R.M.S. Programme shall consist of **Main Programme** and **Electives** and the pattern of study shall be followed in the following manner, namely:-

(A) (i) (a) After admission, the student shall be inducted to the B.S.R.M.S. Programme through an Induction Programme not less than fifteen working days based on the Transitional Curriculum which intends to introduce newly admitted students to Sowa-Rigpa System of Medicine and to make him or her well aware of the B.S.R.M.S. Programme he or she is going to study for next four and half years followed by twelve months of internship;

(b) during the induction programme, the student of Sowa-Rigpa shall be given orientation on basics of Bhoti language, Buddhist philosophy and logic, basic life support and first aid along with other subjects as laid down in the syllabus;

(c) There shall be fifteen days induction programme which shall not be less than ninety hours and every day may consist of six hours and National Commission for Indian System of Medicine shall specify the transitional curriculum from time to time;

(ii) Total working days for each professional session shall not be less than three hundred and twenty days (320 days);

(iii) (a) total working days for the First Professional session shall not be less than three hundred and five days (305 days) excluding fifteen days (15 days) of induction programme;

(b) total teaching hours for First Professional session shall not be less than 1920 hours, and proportion of teaching hours in Lecture to Non-lecture shall be 1:2

(iv) (a) total teaching hours for Second Professional session shall not be less than 2240 hours and the proportion of teaching hours in Lectures to Non-lectures shall be 1:2

(b) during the Second Professional Session at least one hour of clinical classes per day during morning hours at Out-patient Department (OPD) or In-Patient Department (IPD) or Laboratory or Pharmacy or Dispensary at the attached teaching Hospital shall be conducted to make the students have acquaintance with the related activities;

(v) Total teaching hours for Third (Final) Professional session shall not be less than 2240 hours and during the Third (Final) Professional Session, three hours of clinical classes at attached teaching Hospital during morning hours shall be conducted and the proportion of teaching hours in Lecture to Non-Lecture hour shall be 1:2

(vi) Working hours may be increased by the university or institution as per requirement to complete the stipulated period of teaching and requisite activity.-

Explanation.- For the purposes of these regulation the expression **"Lectures"** means Didactic teaching i.e., classroom teaching and the expression **"Non-lectures"** includes Practical or Clinical and Demonstrative teaching and the Demonstrative teaching includes Social, Emotional & Ethical learning (SEE-Learning) or Spiritual learning or Demonstration in Sowa-Rigpa Astrology or Oral recitation or Small group teaching or Group Discussion or Peer Assisted Learning (PAL) or Tutorials or Seminars or Symposiums or Panel Discussion or Assignments or Study Assignment Methods or Demonstration or Hands-on Activity or Role play or Video Lessons or Pharmacy training or Laboratory training or Dissection or Field visits or Skill-Lab Training or Simulation Based Learning or Integrated learning or Problem based learning or Inquiry Based Learning or Project Based Learning or Case Based Learning or Early Clinical Exposure or Evidence Based Learning or Inter-Disciplinary Teaching or Flipped Classroom or Blended Learning or Debate etc. as per the requirement of the subject and in Non-lectures hours, the Clinical or Practical part shall be seventy per cent. and Demonstrative or Activity based teachings shall be thirty per cent.

(vii) There shall be minimum of one hour each for library and physical education per week and one hour of recreation (expression of talent and extra-curricular activities) per month has to be allotted in the regular time table of all batches.

(B) The First Professional session shall ordinarily start in the month of October and the following subjects shall be taught as per the syllabus laid down by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time, namely:-

Table - 2

Subjects or Courses for First Professional B.S.R.M.S.

Sl. No.	Name of the subjects		
	Subject Code	Subjects	Equivalent Terms
1	SRUG-LT	gso rig lo rgyus dang gzhi rtsa`i lta grub	History and Fundamental Principles of Sowa-Rigpa
2	SRUG-GL	grub pa lus	Human Anatomy and Physiology
3	SRUG-NT-I	nad brtag thabs-I	Sowa-Rigpa Pathology (Part-I)
4	SRUG-TN	tha mal nad med	Principles and Disciplines of Disease Prevention, Public health and Sowa-Rigpa Yogic Science
5	SRUG-MZ-I	sman rdzas-I	Materia Medica (Part –I)
6	SRUG-KY	skad yig	Bhoti Language
7	SRUG-KT	gso dpyad rtsis rig	Sowa-Rigpa Medical Astrology
8	-	blo rgyugs	Oral Test*
9	-	rtsa rgyud yang na bshad rgyud sdong `grems	Concept Mapping-I or II**
10	Electives (Minimum Three) Subjects		

*Tsawa memorization and recitation (over and above teaching hours)

** Concept Mapping is about the overall precise on individual *rgyud* (Treatise) which shall be delivered in non-lecture form and the students are required to opt any of the Part-I or II Concept Mapping.

(C)The Second Professional session shall ordinarily start in the month of April after completion of First Professional examination and the following subjects shall be taught as per the syllabus laid down by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time, namely:-

Table – 3

Subjects or Courses for Second Professional B.S.R.M.S.

Sl. No.	Name of the subjects		
	Subject Code	Subjects	Equivalent Terms
1	SRUG-MZ-II	sman rdzas-II	Materia Medica (Part-II)
2	SRUG-MB	zhi byed sman gyi sbyar thabs	Sowa-Rigpa Pharmacology and Pharmaceutics
3	SRUG-NT-II	ngos bzung rtags-II	Sowa-Rigpa Pathology (Part-II)
4	SRUG-ST	gso byed thabs	Principles of Sowa-Rigpa Therapeutics
5	SRUG-TP	tshad pa gso ba	Management of Pyrexia and Infectious Diseases
6	SRUG-LD	lus stod dang don snod gso ba	Management of Head, Neck, Thorax and Abdomen Disorders
7	SRUG-TS	thor nad dang gsang nad gso ba	Management of Unclassified and Reproductive Disorders
8	-	blo rgyugs	Oral Test*
9	-	man ngag rgyud sdong `grems	Concept Mapping- III**
10	Electives (Minimum Three) Subjects		

*Tsawa memorization and recitation (over and above teaching hours)

** Concept Mapping is about the overall precise on individual *rgyud* (Treatise) which shall be delivered in non-lecture form.

(D) The Third (Final) Professional session shall ordinarily start in the month of October after completion of Second Professional examination and the following subjects shall be taught as per the syllabus laid down by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time, namely:-

Table – 4

Subjects or Courses for Third (Final) Professional B.S.R.M.S.

Sl. No.	Name of the subjects		
	Subject Code	Subjects	Equivalent Terms
1	SRUG-MS	rma gso ba	Management of Endogenous and Exogenous Wounds and Emergency Medicine

2	SRUG-DC	dpyad kyi bcos thabs	External Therapy and Surgery
3	SRUG-LN	sbyong byed las lnga	Five Therapeutic Procedures
4	SRUG-BS	byis nad gso ba	Paediatrics and Neonatal Care
5	SRUG-MO	mo nad gso ba	Obstetrics and Gynaecology
6	SRUG-DO	gdon nad gso ba	Clinical Psychology and Psychiatry
7	SRUG-DN	dug nad gso ba	Medical Jurisprudence and Clinical Toxicology
8	SRUG-ZD	zhib `jug thabs lam dang bsdur rtsis	Research Methodology and Medical Statistics
9	-	blo rgyugs	Oral Test*
10	-	phyi ma rgyud sdong `grems	Concept Mapping-IV**
11	Electives (Minimum Three) Subjects		

*Tsawa memorization and recitation (over and above teaching hours)

** Concept Mapping is about the overall precise on individual *rgyud* (Treatise) which shall be delivered in non-lecture form.

(E) University or Institution or College shall prepare Academic Calendar of that particular batch in accordance with the template of tentative Academic Calendar provided in these regulations in ***Annexure-I*** and the same shall be circulated to students and hosted in respective websites and followed accordingly.

(F) The B.S.R.M.S. programme shall consist of following Departments and Subjects, namely:-

Table – 5

Departments and Subjects

Sl. No.	Departments	Subjects
1	lo rgyus dang lta grub (History and Fundamental Principles of Sowa-Rigpa)	1) gso rig lo rgyus dang gzhi rtsa `i lta grub (History and Fundamental Principles of Sowa-Rigpa) 2) skad yig (Bhoti) 3) gso dpyad rtsis rig (Sowa-Rigpa Medical Astrology)
2	grub pa lus Department (Human Anatomy and Physiology)	grub pa lus (Human Anatomy and Physiology)
3	sman rdzas dang sman sbyor Department (Materia Medica, Pharmacology and Pharmaceutics)	1) sman rdzas-I (Materia Medica Part –I) 2) sman rdzas-II (Materia Medica Part –II) 3) zhi byed sman gyi sbyar thabs (Sowa-Rigpa Pharmacology and Pharmaceutics)
4	tha mal nad med dang brtag thabs Department (Disease Prevention and Sowa-Rigpa Pathology)	1) tha mal nad med (Principles and Disciplines of Disease Prevention, Public Health and Sowa-Rigpa Yogic Science) 2) nad brtag thabs-I (Sowa-Rigpa Pathology Part-I) 3) ngos bzung rtags-II (Sowa-Rigpa Pathology Part-II) 4) gso byed thabs (Principles of Sowa-Rigpa Therapeutics)
5	dpyad sbyong Department (External Therapy and Surgery)	1) sbyong byed las lnga (Five Therapeutic Procedures) 2) dpyad kyi bcos thabs (External Therapy and Surgery)
6	lus nad Department (General Medicine)	1) tshad pa gso ba (Management of Pyrexia and Infectious Diseases) 2) lus stod dang don snod gso ba (Management of Head, Neck, Thorax and Abdomen Disorders) 3) thor nad dang gsang nad gso ba (Management of Unclassified and Reproductive Disorders) 4) rma gso ba (Management of Endogenous and Exogenous Wounds and Emergency Medicine)
7	byis nad dang mo nad Department (Paediatrics and Gynaecology)	1) byis nad gso ba (Paediatrics and Neonatal Care) 2) mo nad gso ba (Obstetrics and Gynaecology)
8	gdon nad dang dug nad Department (Clinical Psychology and Toxicology)	1) gdon nad gso ba (Clinical Psychology and Psychiatry) 2) dug nad gso ba (Medical Jurisprudence and Clinical Toxicology) 3) zhid `jug thabs lam dang bsdur rtsis (Research Methodology and Medical Statistics)

(G) **Electives.-** (i) Electives are introduced in B.S.R.M.S. curriculum to provide opportunity to the students of Sowa-Rigpa to get introduced, exposed and oriented to various allied subjects that are required to understand and build inter-disciplinary approach;

(ii) The electives shall be conducted as online programme by National Commission for Indian System of Medicine;

(iii) Each elective subject shall be of forty-five hours duration and divided in five modules and each module shall have nine hours i.e., five hours of teaching, two hours of guided learning, one hour each for expert interaction/reflection and assessment and in total, each elective will have twenty-five hours of teaching, ten hours of guided learning, five hours of expert interaction/reflection and five hours of assessment (five assessments of one hour each);

Explanation. - For the purpose of these regulations, "Teaching" means video lectures, power point presentations, audio lectures, video clippings, audio clippings, technical images, study material etc.

(iv) The study hours for electives are over and above the specified teaching hours of B.S.R.M.S. programme under these regulations.

(H) **Clinical Training**. - Clinical training of the student shall start from the First Professional session onwards (Early Clinical Exposure) as mentioned in the following table, namely.-

Table – 6

Clinical Training Hours

Professional Session	Clinical Training Hours
First	Subject or Topic related clinical training shall be provided by the concerned teaching faculty or department in non-lecture hours (in addition to practical and demonstrative teaching) as per the requirement of the subject
Second	One-hour clinical training per day in Out-patient Department (OPD) or In-Patient Department (IPD) during morning session
Third (Final)	Three hours clinical training per day in Out-patient Department (OPD) or In-Patient Department (IPD) during morning session

9. Methodology for Supplementing Modern Advances, Scientific and Technological Development in Indian System of Medicine (SMASTD-ISM).- (1) To accomplish the requirement under subsection (h) of section 2 of the National Commission for Indian System of Medicine Act 2020 regarding supplementation of Modern Advances, Scientific and Technological Developments in the Sowa-Rigpa System of Medicine (SMASTD-ISM), an expert committee shall be constituted to find the methodology for supplementing modern advances, scientific and technological developments in the area of diagnostic tools, conceptual advancements, emerging areas etc as under.-

(i) Innovations or advances or new developments in Basic Sciences like Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Microbiology, Biochemistry, Anatomy, Physiology, Medicinal Botany and Pharmacognosy, Bioinformatics, Molecular Biology, Immunology etc.;

(ii) Diagnostic advancements;

(iii) Therapeutic technology;

(iv) Surgical technique or technology;

(v) Pharmaceutical technology including Quality and Standardisation of drugs, drug development etc.;

(vi) Teaching, Training methods and Technology;

(vii) Research methods, Parameters, Equipment and Scales etc.;

(viii) Technological advancements, Automation, Software, Artificial Intelligence, Digitalisation, Documentation etc.;

(ix) Biomedical advancements;

(x) Medical Equipment;

(xi) any other innovations, advances, technologies and developments that are useful for understanding, validating, teaching, investigations, diagnosis, treatment, prognosis, documentation, standardisation and conduction of research in Sowa-Rigpa.

(2)The Expert committee for Sowa-Rigpa constituted by the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa from eight Departments or Verticals as specified in clause (F) of sub-regulation (1) of regulation 8 in addition to two more Verticals, one each for Education and Research to suggest or define or recommend the method of adaptation and incorporation of the said modern advances, scientific and technological developments to the Core committee and also specify the inclusion of the same at under-graduate or post-graduate level.

(3) There shall be a Multi-Disciplinary Core Committee constituted by the National Commission for the Indian System of Medicine for the purpose of supplementing modern advances, scientific and technological developments that examine the recommendations of the expert committee and find that they are suitable and appropriate to include in the concerned subject or course or syllabus of Sowa-Rigpa.

(4) Once the Core committee approves the recommendations of the Expert committee, the National Commission for Indian System of Medicine shall direct the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa to include the same in the curriculum of under-graduate or post-graduate studies as specified by the expert committee.

(5) Such approved modern advances shall be incorporated with due interpretations based on the principles of Sowa-Rigpa.

(6) After five years of such advancements being included in the curriculum, they will be considered as a part of Sowa-Rigpa.

(7) The President, Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa shall be the Chairperson of Core Committee and an expert as decided by the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa shall be the Chairperson of Expert Committee.

(8) The term of Core committee and Expert committee shall be for three years from the date of their constitution.

(9) The proportion of modern advances to Sowa-Rigpa teaching contents must not exceed 40 per cent. and it shall not compromise the unique value or basics or integrity or soul of Sowa-Rigpa.

10. Examination. - (a) (i) The First Professional examination shall ordinarily be held and completed by the end of First Professional session;

(ii) the student who failed in one or two subjects of First Professional shall be allowed to keep terms of the Second Professional session and to appear in Second Professional examination;

(iii) the student who failed in more than two subjects shall not be allowed to keep term in Second Professional session and the subsequent supplementary examinations of First Professional shall be held at every six months.

(b) (i) The Second Professional examination shall ordinarily be held and completed by the end of Second Professional session;

(ii) the student who failed in one or two subjects of Second Professional shall be allowed to keep the terms of the Third (Final) Professional session;

(iii) the students who failed in more than two subjects shall not be allowed to keep terms in Third (Final) Professional session and the subsequent supplementary examinations of Second Professional shall be held every six months.

(c) (i) The Third (Final) Professional examination shall ordinarily be held and completed by the end of Third (Final) Professional session;

(ii) Before appearing for Third (Final) Professional examination, the students shall have to pass all subjects of First and Second Professional and shall qualify nine electives;

(iii) The subsequent supplementary examination of Third (Final) Professional shall be held every six months.

(d) There shall be no separate class for odd batch student (students, who could not keep the term) and the student have to attend the class either with regular batch or with junior batch as applicable.

(e) To become eligible for joining the Compulsory Rotatory Internship programme, all three professional examinations shall be passed and qualified in nine electives within a period of maximum ten years from the date of admission.

(f) The theory examination shall have twenty per cent. marks for Multiple-Choice Questions (MCQ), forty per cent. marks for Short Answer Questions (SAQ) and forty per cent. marks for Long Answer Questions (LAQ) and these questions shall cover the entire syllabus of the subject.

(g) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent. in theory component and fifty per cent. in practical component (that include practical and clinical, viva-voce, internal assessment and electives wherever applicable) separately in each subject. The minimum marks required for passing the Oral Test (*Tsawa* memorization and recitation) shall be Sixty-Five per cent.

(h) **Evaluation of electives.** - Electives shall be evaluated in terms of attendance and assessment and on the basis of evaluation, the student shall be awarded credits as well as grades as under-

(i) one credit shall be awarded for attending minimum five hours of a modular programme including assessment part of the module and a student can earn maximum five credits for each elective;(ii) assessment shall be conducted at the end of each module and average of five modular assessments shall be considered for grading i.e., up to 25 per cent.- Bronze; 26-50 per cent.- Silver; 51-75 per cent.-Gold; 76 per cent. and above- Platinum;

(iii) the structure of the elective shall be as per the following table, namely:

Table – 7

Structure of Elective

Each Elective: Five Modules of Nine Hours Each (5x9 = 45 hours)					
Sl. No.	**Component**	**Duration (Hours)**		**Credits**	**Grades**
		Module	Elective	One Credit for attending minimum of five hours of each modular programme. (i.e maximum five credits)	Grade is awarded on the basis of average of all five modular assessments Bronze: <25 per cent. Silver: 26-50 per cent. Gold: 51-75 per cent. Platinum; 76 per cent. and above
1	Teaching	5	25		
2	Guided Learning	2	10		
3	Expert Interaction/Reflection	1	5		
4	Assessment	1	5		

(iv) (a) Student has to qualify or complete (obtaining any grade) minimum of three elective subjects for each professional session and it is mandatory to qualify or complete totally nine electives before appearing for the Third (Final) Professional Examination and if a student does not qualify or complete the elective of the concerned Professional session, he or she can keep the term of next higher Professional session(s) and qualify or complete the electives of previous Professional session(s). However, marks shall not be awarded for the electives of the previous Professional session(s);

(b) List of elective subjects shall be made available under three sets (A, B and C) for each professional session i.e., sets FA, FB and FC for First Professional B.S.R.M.S.; sets SA, SB and SC for Second Professional B.S.R.M.S.; sets TA, TB and TC for Third (Final) Professional B.S.R.M.S;

(c) Student may opt any one elective as per their choice from each set specified for respective Professional B.S.R.M.S;

(d)Weightage of two marks for each credit and maximum of ten marks shall be awarded for each elective;

(e) These elective marks shall be added to the viva-voce marks of respective subjects as specified in these regulations;

(f) Apart from three mandatory electives for each professional session, students have freedom to choose and qualify as many numbers of electives additionally as per their interest in each set. In such cases, the highest mark among the electives in each set shall be incorporated to the concerned subject by the University as per the pattern specified in the Table ***13, 15*** and ***17*****;**

(g) Marks weightage shall be only for three electives per professional session i.e., one elective subject from each set of respective Professional session;

(h) A separate online certificate shall be generated for each elective mentioning credits earned and grades obtained. The Certificate for qualified or completed elective shall be downloaded by the student.

(v) The examination branch of the Sowa-Rigpa College or Institute shall compile the marks of electives obtained by students as specified above and submit to university through Head of the Institution so that the university shall add the same in viva-voce of respective subjects as shown in Tables ***13, 15*** and ***17.***

(i) (i) A candidate obtaining sixty-five per cent. and above marks shall be awarded first class in the subject and seventy-five per cent. and above marks shall be awarded distinction in the subject;

(ii) The award of class and distinction shall not be applicable for supplementary examinations.

(j) (i) Each student shall be required to maintain minimum seventy-five per cent. attendance in each subject in theory (i.e., lecture hours), and practical/clinical (i.e., non-lecture hours) separately for appearing in examinations;

(ii) Where the institute maintains physical attendance register, it shall be recorded in cumulative numbering method as per **Annexure-II** and at the end of the course or term or part of the course, after obtaining each student signature the same is to be certified by respective head of department and approved by Head of the Sowa-Rigpa college/Institute;

(iii) The approved attendance shall be forwarded to university.

(k) If a student fails to appear in regular examination for cognitive reasons and certified by the medical specialist, he or she may appear in supplementary examination as regular student and the same shall be intimated to the University and his or her non-appearance in regular examination shall not be treated as an attempt.

11.Assessment.-Assessment of students shall be in the form of Formative and Summative assessments as under.-

(a) Formative Assessment.- Students shall be assessed periodically to assess their performance in the class, determine the understanding of programme material and their learning outcome in the following manner, namely:-

(i) periodical assessment shall be carried out at the end of teaching of a topic or module or a particular portion of syllabus and the following evaluation methods as per the following table may be adopted as suitable to the content, namely: -

Table – 8

Evaluation methods for periodical assessment

Sl. No.	Evaluation Method
1	Practical/Clinical Performance
2	Viva voice/Multiple Choice Question (MCQ)/Modified Essay Question (MEQ)/Structured Questions
3	Open Book Test (Problem Based)
4	Summary Writing (Research papers)
5	Class Presentations
6	Work Book Maintenance
7	Problem Based Assignment
8	Objective Structured Clinical Examination (OSCE), Objective Structured Practical Examination (OSPE), Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX), Direct Observation Procedures (DOP), Case Based Discussion (CBD)
9	Extra-Curricular activities (Social work, Public awareness, Surveillance activities, Sports or other activities which may be decided by the department).
10	Small Project (Individual or Group)
11	Oral Test, etc.

(ii)(a) internal evaluation shall be conducted by the College or Institute at the end of six months (First Term Test) for thirty per cent. of the syllabus and at twelve months (Second Term Test) for forty per cent. of the remaining syllabus and the Term tests shall be conducted as per the University exam pattern;

(b) The remaining thirty per cent. of syllabus shall be completed in the last six months (Third Term) before university examination;

(iii)there shall be minimum three periodical assessments for each subject before First Term Test (ordinarily at 6^{th} month of respective professional B.S.R.M.S.) minimum of three periodical assessments before Second Term Test (ordinarily at 12^{th} month of respective professional B.S.R.M.S.) and minimum of three periodical assessments before final university examinations (Summative Assessment) of respective professional B.S.R.M.S.

(iv) the scheme and calculation of assessment shall be as per the following tables, namely: -

Table – 9

Scheme of Assessment (Formative and Summative)

Sl. No.	Professional session	Duration of Professional session		
		First Term (1-6 Months)	Second Term (7-12 Months)	Third Term (13-18 Months)
1	First Professional B.S.R.M.S.	3 PA and First TT	3 PA and Second TT	3 PA and UE
2	Second Professional B.S.R.M.S.	3 PA and First TT	3 PA and Second TT	3 PA and UE
3	Third (Final) Professional B.S.R.M.S.	3 PA and First TT	3 PA and Second TT	3 PA and UE

PA: Periodical Assessment; TT: Term Test; UE: University Examination

Table-10

Calculation method of Internal Assessment Marks (20 marks)

Term	Periodical Assessment				Term Test	Term Assessment	
	A	B	C	D	E	F	G
	1 (20)	2 (20)	3 (20)	Average (A+B+C/3) (20)	Theory (MCQ + SAQ + LAQ) & Practical (Converted to 20)	Sub Total (40 marks)	Term Assessment (20 marks)
First						D + E	D + E/2
Second						D + E	D + E/2
Third					Nil	D	D
Final IA	**Final Internal Assessment: Average of three Term Assessment marks as shown in 'G' column**						

Table – 11

Calculation method of Internal Assessment Marks (20 marks) for Oral test and Concept Mapping

Term	Periodical Assessment				Term Test	Term Assessment	
	A	B	C	D	E	F	G
	1 (20)	2 (20)	3 (20)	Average (A+B+C/3) (20)	Oral test (Recitation based) and Concept Mapping (Performance based) (Converted to 20)	Sub Total (40 marks)	Term Assessment (20 marks)
First						D + E	D + E/2
Second						D + E	D + E/2
Third					Nil	D	D
Final IA	**Final Internal Assessment: Average of three Term Assessment marks as shown in 'G' column**						

(b) Summative Assessment. - (i) Final university examinations conducted at the end of each Professional B.S.R.M.S. shall be Summative Assessment;

(ii) There shall be double valuation system and shall be no provision for revaluation;

Explanation.-(1)An answer script will be evaluated by two independent evaluators. After double valuation, in case of variation between both the scores are up to 19 percentage of the total or maximum marks, then average of both the scores will be considered as the final score. In case of fractional scores, if it is 0.5 and above it is rounded up to next highest digit and if the fraction is below 0.5 it is a rounded up to lower digit value;

(2) At the end of double valuation, if the variation between two independent scores is 20 percentage and above of the maximum marks, then such answer script should be considered for third evaluation provided that at least one of the scores among two should be 35 percentage and above of the maximum marks. A Third independent evaluator/assessor evaluates such scripts and assign the scores. Average of higher of two scores among all three evaluation is considered as the final score. In case of fractional scores, if it is 0.5 and above it is rounded up to next highest digit and if the fraction is below 0.5 it is a rounded up to lower digit value;

(iii) There shall be two examiners (one internal and one external) for university practical or clinical or viva-voce examinations;

(iv) While declaring the results of Summative assessment, Internal Assessment component and Elective marks shall be considered as per the distribution of marks pattern provided in **Tables 13, 15** and **17.**

12. The Profession wise Subjects, Number of Papers, Teaching Hours and Marks Distribution shall be as per the following tables, namely: -

Table – 12

Teaching hours for First Professional B.S.R.M.S. Subjects

First Professional B.S.R.M.S. Working days=320, Teaching hours = 1920 Induction Programme = 15 Working days (90 hours) Remaining days and Teaching hours = 320-15 Days (305 working days / 1830 Hours)					
Sl. No.	**Name of the Subjects**		**Number of Teaching hours**		
	Subject Code	**Equivalent Terms**	**Lectures**	**Non-Lectures**	**Total**
1	SRUG-LT	*gso rig lo rgyus dang gzhi rtsa'i lta grub* (History and Fundamental Principles of Sowa-Rigpa) Paper -1 and Paper - 2	80	100	180
2	SRUG-GL	*grub pa lus* (Human Anatomy and Physiology) Paper -1 and Paper - 2	90	190	280
3	SRUG-NT-I	*nad brtag thabs-I* (Sowa-Rigpa Pathology Part-I)	90	180	270
4	SRUG-TN	*tha mal nad med* (Principles and Disciplines of Disease Prevention, Public Health and Sowa-Rigpa Yogic	90	180	270

		Science)			
5	SRUG-MZ-I	*sman rdzas-I* (Materia Medica Part-I)	90	180	270
6	SRUG-KY	*skad yig* (Bhoti)	90	180	270
7	SRUG-KT	*gso dpyad rtsis rig* (Sowa-Rigpa Medical Astrology)	80	160	240
8	--	*rtsa rgyud yang na bshad rgyud sdong 'grems* (Concept Mapping- I or II)	--	50	50
9	--	*blo rgyugs* (Oral Test)	--	--	--
		Total	**610**	**1220**	**1830**

Table – 13

Number of Papers and Marks Distribution for First professional B.S.R.M.S. Subjects

Sl. No.	Subject	Papers	Theory	Practical or Clinical Assessment					Grand Total
				Practical or Clinical	Viva	Electives	IA	Total	
1	gso rig lo rgyus dang gzhi rtsa'i lta grub (History and Fundamental Principles of Sowa-Rigpa) Paper -1 and Paper - 2	2	200	-	30	-	20	50	250
2	grub pa lus (Human Anatomy and Physiology) Paper -1 and Paper - 2	2	200	100	20	10 (Set-FA)*	20	150	350
3	nad brtag thabs-I (Sowa-Rigpa Pathology Part-I)	1	100	100	20	10 (Set-FB)*	20	150	250
4	tha mal nad med (Principles and Disciplines of Disease Prevention, Public health and Sowa-Rigpa Yogic Science)	1	100	-	30	-	20	50	150
5	sman rdzas-I (Materia Medica Part –I)	1	100	100	20	10 (Set-FC)*	20	150	250
6	skad yig (Bhoti)	1	100	-	30	-	20	50	150
7	gso dpyad rtsis rig (Sowa-Rigpa Medical Astrology)	1	100	-	30	-	20	50	150
8	blo rgyugs (Oral Test)	-	-	-	80	-	20	100	100
9	rtsa rgyud yang na bshad rgyud sdong 'grems (Concept Mapping- I or II)	-	-	-	80	-	20	100	100
								Grand Total	**1750**

[*Set: - FA, FB, FC – Sets of Electives for First Professional B.S.R.M.S.]

Table – 14

Teaching hours for Second Professional B.S.R.M.S. Subjects

Second Professional B.S.R.M.S. Working days=320, Teaching hours = 2240 including 320 clinical hours					
Sl. No.	**Name of the Subjects**		**Number of Teaching hours**		
	Subject Code	**Equivalent Terms**	**Lectures**	**Non-Lectures**	**Total**
1	SRUG-MZ-II	sman rdza-II (Materia Medica Part-II)	100	200	300
2	SRUG-MB	zhi byed sman gyi sbyar thabs (Sowa-Rigpa Pharmacology and Pharmaceutics)	100	200	300
3	SRUG-NT-II	ngos bzung rtags- II (Sowa-Rigpa Pathology Part-II)	100	150	250
4	SRUG-ST	gso byed thabs (Principles of Sowa-Rigpa Therapeutics) Paper-1 and Paper-2	120	150	270
5	SRUG-TP	tshad pa gso ba (Management of Pyrexia and Infectious Disease) Paper- 1 and Paper-2	100	150	250
6	SRUG-LD	lus stod dang don snod gso ba (Management of Head, Neck, Thorax and Abdomen Disorders)	120	150	270
7	SRUG-TS	thor nad dang gsang nad gso ba (Management of Unclassified group of disease and Reproductive Health) Paper-1 and Paper -2	100	130	230
8	--	blo rgyugs (Oral Test)	-	-	-
9	--	man ngag rgyud sdong `grems (Concept Mapping-III)	-	50	50
10	Clinical hours at Hospital/Pharmacy/Dispensary/Laboratory, etc. (1 Hour per day)		-	320	320
		Total	**740**	**1500**	**2240**

(Note: Clinical hours to be added to non-lecture hours of concerned subject while calculating attendance)

Table – 15

Number of Papers and Marks Distribution for Second Professional B.S.R.M.S. Subjects

Sl. No.	**Subject**	**Papers**	**Theory**	**Practical or Clinical Assessment**					**Grand Total**
				Practical or Clinical	**Viva**	**Electives**	**IA**	**Total**	
1	sman rdzas-II (Materia Medica Part-II)	1	100	100	20	10 (Set-SA)*	20	150	250
2	zhi byed sman gyi sbyar thabs (Sowa-Rigpa Pharmacology and Pharmaceutics)	1	100	100	30	-	20	150	250
3	ngos bzung rtags- II (Sowa-Rigpa Pathology Part-II)	1	100	100	30	-	20	150	250
4	gso byed thabs (Principles of Sowa-Rigpa Therapeutics) Paper-1and Paper-2	2	200	100	30	-	20	150	350
5	tshad pa gso ba (Management of Pyrexia and Infectious Diesease) Paper- 1 and Paper-2	2	200	100	20	10 (Set-SB)*	20	150	350
6	lus stod dang don snod gso ba (Management of Head, Neck, Thorax and Abdomen Disorders)	1	100	100	30	-	20	150	250

7	thor nad dang gsang nad gso ba (Management of Unclassified group of disease and Reproductive Health) Paper-1 and Paper -2	2	200	100	20	10 (Set-SC)*	20	150	350
8	blo rgyugs (Oral Test)	-	-	-	80	-	20	100	100
9	man ngag rgyud sdong `grems (Concept Mapping-III)	-	-	-	80	-	20	100	100
								Grand Total	**2250**

[Set:- SA,SB,SC – Sets of Electives for Second Professional B.S.R.M.S.]

Table – 16

Teaching hours for Third (Final) Professional B.S.R.M.S. Subjects

Third/Final Professional B.S.R.M.S. Working days=320, Teaching hours = 2240 including 960 clinical hours					
Sl. No.	**Name of the Subjects**		**Number of Teaching hours**		
	Subject Code	**Equivalent Terms**	**Lectures**	**Non-Lectures**	**Total**
1	SRUG-MS	rma gso ba (Management of Endogenous and Exogenous Wounds and Emergency Medicine) Paper- 1 and Paper-2	140	90	230
2	SRUG-DC	dpyad kyi bcos thabs (External Therapy and Surgery) Paper-1 and Paper-2	120	70	190
3	SRUG-LN	sbyong byed las lnga (Five Therapeutic Procedures)	80	70	150
4	SRUG-BS	byis nad gso ba (Paediatrics and Neonatal Care)	80	70	150
5	SRUG-MO	mo nad gso ba (Obstetrics and Gynaecology)	80	70	150
6	SRUG-DO	gdon nad gso ba (Clinical Psychology and Psychiatry)	100	60	160
7	SRUG-DN	dug nad gso ba (Medical Jurisprudence and Clinical Toxicology)	80	40	120
8	SRUG-ZD	zhib `jug thabs lam dang bsdur rtsis (Research Methodology and Medical Statistics)	60	40	100
9	--	blo rgyugs (Oral Test)	-	-	-
10	--	phyi ma rgyud sdong `grems (Concept Mapping-IV)	-	30	30
11	--	Clinical hours/Training	-	960	960
		Total	**740**	**1500**	**2240**

(Note: Clinical hours to be added to non-lecture hours of concerned subject while calculating attendance)

Table – 17

Number of Papers and Marks Distribution for Third (Final) Professional B.S.R.M.S. Subjects

Sl. No.	**Subject**	**Papers**	**Theory**	**Practical or Clinical Assessment**					**Grand Total**
				Practical or Clinical	**Viva**	**Electives**	**IA**	**Total**	
1	rma gso ba (Management of Endogenous and Exogenous Wounds and Emergency Medicine) Paper-1and Paper-2	2	200	100	20	10 (Set – TA)*	20	150	350

2	dpyad kyi bcos thabs (External Therapy and Surgery) Paper-1 and Paper-2	2	200	100	20	10 (Set – TB)*	20	150	350
3	sbyong byed las lnga (Five Therapeutic procedures)	1	100	100	30	-	20	150	250
4	byis nad gso ba (Paediatrics and Neonatal Care)	1	100	100	30	-	20	150	250
5	mo nad gso ba (Obstetrics and Gynaecology)	1	100	100	30	-	20	150	250
6	gdon nad gso ba (Clinical Psychology and Psychiatry)	1	100	100	20	10 (Set – TC)*	20	150	250
7	dug nad gso ba (Medical Jurisprudence and Clinical Toxicology)	1	100	100	30	-	20	150	250
8	zhib `jug thabs lam dang bsdur rtsis (Research Methodology and Medical Statistics)	1	100	-	30	-	20	50	150
9	blo rgyugs (Oral Test)	-	-	-	80	-	20	100	100
10	phyi ma rgyud sdong `grems (Concept Mapping-IV)	-	-	-	80	-	20	100	100
								Grand Total	**2300**

13. Migration of student during the study.-(1) The students may be allowed to take the migration to continue their study to another college after passing the First Professional examination, but failed student's transfer and mid-term migration shall not be allowed.

(2) For migration, the students shall have to obtain the mutual consent of both colleges and universities and it shall be against the vacant seat.

14.Compulsory Rotatory Internship.-(a) (i) The duration of Compulsory Rotatory Internship including Internship Orientation Programme shall be one year and ordinarily commence on first working day of April for regular batch students and first working day of October for supplementary batch students;

(ii) The student shall be eligible to join the Compulsory Internship Programme after passing all the subjects from First to Third (Final) Professional Examination including qualifying nine electives and after getting Provisional Degree Certificate from respective universities and Provisional Registration Certificate from respective State Board or Council for Compulsory Rotatory Internship;

(b) Stipend.- During internship, to the interns belonging to Central Government, State Government and Union territory institution, the stipend shall be paid at par with other medical system under respective government and there shall not be any discrepancy between medical systems;

(c)Migration during Internship.- (i) Migration of internship shall be with the consent of both the colleges and universities, in the case where the migration is in between the colleges of two different universities;

(ii) If migration is only between colleges of the same university, the consent of both the colleges shall be required;

(iii) Migration shall be accepted by the university on the production of the character certificate issued by the Institute or College and the application forwarded by the college and university with a "No Objection Certificate" as the case may be;

(d) Orientation programme. - (i) The interns shall mandatorily attend an orientation programme regarding internship and it shall be the responsibility of the teaching institution to conduct the orientation before the commencement of the Internship;

(ii) The orientation shall be conducted with an intention to make the intern to acquire the requisite knowledge about the Rules and Regulations of the Medical Practice and Profession, Medical Ethics, Medico-Legal Aspects, Medical Records, Medical Insurance, Medical Certification, Communication Skills, Conduct and Etiquette, National and State Health Care programme;

(iii)The orientation workshop shall be organized at the beginning of internship and a Logbook shall be maintained by each intern, in which the intern shall enter date-wise details of activities undertaken by him/her during orientation;

(iv)The period of orientation shall be of seven days which is inclusive of the one year internship programme;

(v)The manual for conducting the orientation as prescribed from time to time by the National Commission for Indian System of Medicine shall be followed.

(e)Activities during Internship.- (i) The daily working hours of intern shall not be less than eight hours; the intern shall maintain a Logbook containing all the activities undertaken by him or her during internship.

(ii) Normally one-year internship shall be as under-

(A) Option I.- Divided into clinical training of six months in the Sowa-Rigpa Hospital attached to the College and Six months in Primary Health Centre (PHC) or Community Health Centre (CHC) or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of Modern Medicine or Government Sowa-Rigpa Dispensary/Hospital or Clinics attached to other Sowa-Rigpa Institute or College.

(B) Option II.- All twelve months in Sowa-Rigpa Hospital attached to the college.

(iii)The clinical training of six or twelve months, as case may be, in the Sowa-Rigpa Hospital attached to the College or in Non-teaching Hospitals laid down by the National Commission for Indian System of Medicine shall be conducted as per the following table, namely:

Table – 18

Distribution of Internship duration at Sowa-Rigpa teaching hospital, attached to the college

SL. No.	Departments	Option I	Option II
1	lus nad (General Medicine)	Forty-five days	Three months
2	dpyad sbyong (External Therapy and Surgery)	Forty-five days	Three months
3	byis nad dang mo nad (Paediatrics and Gynaecology)	Forty-five days	Three months
4	gdon nad dang dug nad (Clinical Psychology and Toxicology)	Forty-five days	Three months
5	PHC, CHC, District Hospital, etc. as mentioned in Option – I under the clause (ii), sub regulation (e) of regulation 14.	Six months	……

(iv) (a) The interns shall be posted in any of the following centres where, National Health Programme are being implemented and these postings shall be to get oriented and acquaint the knowledge of implementation of National Health Programme in regard to, -

(A) Primary Health Centre;

(B) Community Health Centre or Civil Hospital or District Hospital;

(C) any recognised or approved Hospital of Modern Medicine;

(D) any recognised or approved Sowa-Rigpa Hospital or Dispensary;

(E) In a clinical unit of National Institute of Sowa-Rigpa;

(b) all the above institutes mentioned in clauses (A) to (E) shall have to be recognised by the concerned university or Government designated authority for taking such a training.

(v) The intern shall undertake the following activities in respective department in the hospital attached to the college, namely:-

(a) training in pulse analysis, urinalysis, stool examination, laboratory investigation, case taking, clinical investigations, diagnosis and management of common diseases by Sowa-Rigpa;

(b) personalised or individualized treatment of patient through long term examination along with treatment methods such as dietary, behavioural management, balances in daily routines;

(c) diagnosis of paediatric disorders through examining the blood vessels on ears of infants, analysing the urine of children, analysing the vomit and treatment of diseases through diet and medicine;

(d) diagnosis of gynaecological disorders through sensing pulse, urinalysis, interrogation, looking at the patient and examining the patient's body;

(e) training of surgical treatment such as golden needle therapy, healing through copper cupping, use of moxabustion, venesection (bloodletting), preparation of medicinal bath, massage therapy and spring water therapy;

(f) management of certain ailments such as fractures and dislocations, management of minor cuts, internal and external wounds;

(g) training in actual application of the Five therapeutic procedures in sequence as follow:-

(i) actual application of oil therapy and preparation of different oil required as per the nature of disorder;

(ii) training in application of emesis, purgation, understanding the time of emesis and purgation;

(iii) training in application of nasal therapy and understanding the compounding of main and other formulations of nasal therapy;

(iv) basis on which enema should be applied; different types of compounds for enema and methods of administrating enema and its benefit;

(v) actual administration of channel cleansing therapy in accordance with suitable place and season; signs of successful channel cleansing therapy.

(vi) The intern shall complete online course on Public Health as laid down by National Commission for Indian System of Medicine, in addition to their regular duties.

(vii) The internship training in Primary Health Centre or Community Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of Modern Medicine or Sowa-Rigpa Hospital or Dispensary.- During the six months internship training in Primary Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of Modern Medicine or Government Hospital or Sowa-Rigpa Dispensary or Hospital or Clinics attached to other Sowa-Rigpa institute or college, the interns shall,-

(A) get acquainted with routine of the primary health centre and maintenance of their records;

(B) get acquainted with the diseases more prevalent in rural and remote areas and theirmanagement;

(C) involve in teaching of health care methods to rural population and also various immunization programme;

(D) get acquainted with the routine working of the medical or non-medical staff of Primary Health Centre or other hospitals and be always in contact with the staff in this period;

(E) get familiarized with the work maintaining the relevant register like daily patient register, family planning register, surgical register etc. and take active participation in different Government health schemes or programme;

(F) participate actively in different National Health Programme implemented by the State Government; and

(G) get trained in Diagnosis, Sowa-Rigpa treatment, external treatment procedures, Sowa-Rigpa special treatment methods, Sowa-Rigpa specialty OPDs, Case report writing, research, etc.

(viii) Logbook.- (a) It shall be compulsory for an intern to maintain the record of procedures done or assisted or observed by him or her on day-to-day basis in specified Logbook and the intern shall maintain a record of work, which is to be verified and certified by the Medical Officer or Head of the Department or Unit under whom he or she works.

(b) Failure to produce Logbook, complete in all respects duly certified by the concerned authority to the Dean or Principal or Director at the end of internship training programme, may result in cancellation of his or her performance in any or all disciplines of internship training programme.

(ix) Evaluation of Internship.- (A) The evaluation system shall assess the skills of a candidate while performing the minimum number of procedures as enlisted with an objective that successful learning of these procedures will enable the candidate to conduct the same in his or her actual practice.

(B) The evaluation shall be carried out by respective Head of the Department at the end of each posting and the report shall be submitted to Head of the institute in Form-1 under **Annexure-III.**

(C) On completion of one year of compulsory rotatory internship including online course on Public Health, the Head of the Institute evaluate all the assessment reports in the prescribed Form-1 under **Annexure-III,** provided by various

Head of the Department at the end of respective posting and if found satisfactory, the intern shall be issued Internship Completion Certificate in Form-2 under **Annexure-IV** within seven working days.

(D) If a candidate's performance is declared as unsatisfactory upon obtaining below fifteen marks as per Form-1 under **Annexure-III** or less than fifty per cent. of marks, in an assessment in any of the departments he or she shall be required to repeat the posting in the respective department for a period of thirty per cent. of the total number of days, laid down for that department in Internship training and posting.

(E) Candidate shall have the right to register his or her grievance in any aspects of conduct of evaluation and award of marks, separately to the concerned Head of the Department and Head of the Institution, within three days from the date of completion of his or her evaluation, and on receipt of such grievance, the Head of the Institution in consultation with the Head of the concerned Department shall redress and dispose of the grievance in an amicable manner within seven working days.

(x) Leave for interns.- (A) During compulsory rotatory internship of one year, twelve leaves are permitted and any kind of absence beyond twelve days shall be extended accordingly.

(B) Intern cannot take more than six days leave including prefix or suffix of any kind of holidays at a time.

(xi) Completion of internship.- If any delay in the commencement of internship or abnormal break during internship due to unavoidable conditions, in such cases internship period shall be completed within maximum period of three years from the date of passing the qualifying examination of Third (Final) Professional B.S.R.M.S. including First and Second Professional Examinations and qualifying nine electives, specified as eligibility for internship:

Provided that in such cases, the student shall get prior permission from the head of the institution in written with all supporting documents and it shall be the responsibility of the head of the institution to scrutinize the documents, and assess the genuine nature of the request before issuing permission letter and while joining internship, the student shall submit the request letter along with supporting documents, and all necessary documents as mentioned in the sub-regulation (a) of regulation 14 and undergo the internship orientation programme as mentioned in the sub-regulation (d) of regulation 14.

15. Tuition fee.- The tuition fee as laid down and fixed by respective governing or fee fixation committees as applicable shall be charged for four and half years only and no tuition fee shall be charged for extended duration of study in case of failing in examinations or by any other reasons and there shall not be any fee for internship doing in the same institute.

16. Qualifications and experience for teaching staff.- (a) Essential qualification.- (i) (A) He or She shall possess Menpa Kachupa or Bachelor Degree in Sowa-Rigpa from a university or institute or its equivalent as recognised by erstwhile Central Council of Indian Medicine or National Commission for Indian System of Medicine under the Act;

(B) Desirable qualification: a Menrampa or Post-graduate qualification in Sowa-Rigpa from a university or institute recognised by erstwhile Central Council of Indian Medicine or National Commission for Indian System of Medicine under the Act; and

(ii) a valid registration with the concerned State Board or Council where he or she is employed (wherever applicable) or a valid Central or National Registration Certificate issued by erstwhile Central Council of Indian Medicine or Board of Ethics and Registration for Indian System of Medicine under National Commission for Indian System of Medicine;

"This is not applicable for teachers of non-medical qualifications,"

(iii) qualification of the teachers for the subjects of Bhoti Language and Sowa-Rigpa Medical Astrology shall be with post-graduate degree or equivalent degree from a recognized university or registered monastic or other institute in the subject concerned;

(iv) In the new appointment of teacher, a candidate shall qualify the National Teachers Eligibility Test, when it becomes operational, however, it shall not be applicable for the teachers mentioned in the clause (iii), sub-regulation (a) of regulation 16.

(b) Experience. -(i) For the Post of Professor.- (a) Ten years of teaching experience as regular teacher or five years of teaching experience as Associate Professor or Reader on regular basis is essential for the teachers with post-graduate qualification;

(b) Thirteen years of teaching experience as regular teacher or eight years of teaching experience as Associate Professor or Reader on regular basis is essential for the teachers with under-graduate qualification.

(ii) For the Post of Associate Professor. - (a) Five years of teaching experience on regular basis is essential for the teachers with post-graduate qualification;

(b) Eight years of teaching experience on regular basis is essential for the teachers with under-graduate qualification.

(iii) For the Post of Assistant Professor. - No teaching experience shall be required however minimum two years of professional experience is mandatory and the age shall not exceed forty-five years at the time of first appointment.

(iv) Qualification for teacher of Research Methodology and Medical Statistics shall be a post-graduate degree in Medical Statistics or Biostatistics or Epidemiology or other relevant discipline of Research Methodology or Medical Statistics and he or she can be appointed on part time basis and shall work under the department of *gdon nad dang dug nad gso ba* and he or she shall not be provided teacher's code.

(v) Qualification for Yoga instructor (full time) shall be minimum a graduate and trained in Yoga and he or she shall work under the department of *tha mal nad med dang brtag thabs* and there shall not be teacher's code for the post of Yoga instructor.

(vi) Teachers appointed for the subjects of Bhoti Language and Sowa-Rigpa Medical Astrology shall be eligible for the post of Associate Professor after seven years of teaching experience and twelve years of teaching experience for the post of Professor and such teachers shall not be eligible for the post of Head of the Department as well as Head of the Institution.

(vii) The research experience of Doctor of Philosophy (Ph.D).-The actual research duration i.e., the date of joining to the date of submission of thesis and not more than three years shall be considered as teaching experience and Ph.D seat allotment letter, proof of joining to full-time Ph.D programme and proof of submission of thesis to the university shall be considered as evidence in this regard.

(viii) Temporary appointment or temporary promotion of teacher shall not be considered for eligibility.

(c) Qualification and experience for post of Head of the Institution. - The qualification and experience for the post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director) shall be the same qualification and experience as specified for the post of Professor with minimum three years of administrative experience (Vice Principal or Head of the Department or Deputy Medical Superintendent or Medical Superintendent etc.).

(d) Salary for the teachers of Government or Government aided institution or Government deemed University.- The Salary and allowances including Non Practicing Allowance as applicable shall be paid to the teacher at par with the norms laid down by the Central Government or University Grants Commission or the State Government or Union territory as the case may be and there shall not be any discrepancy of salary structure between medical systems.

(e) Age of superannuation of teacher.- The age of superannuation of teachers shall be as per the order of the Central Government or State Government or Union territory, and the retired teachers, fulfilling the eligibility norms of teachers may be re-employed up to the age of sixty-five years as full-time teacher.

(f) Unique teacher's code.- (i) A unique teacher's code for all eligible teachers, shall be allotted by the National Commission for Indian System of Medicine after their appointment in the college through an Online Teachers Management System on application within seven working days from the date of joining and the Promotion or Relieving or Transfer of Department of all such teachers shall be facilitated and monitored through the Online Teachers Management System (OTMS).

(ii) Institute and Teacher shall update profile in the Online Teachers Management System (OTMS) from time to time with respect to promotion, department transfer, relieving etc.

(g) The Commission shall have the power to withdraw the teacher's code on ethical and disciplinary grounds.

(h) The Commission shall have the power to withdraw or withheld the teacher's code if the teacher discontinues the teaching profession or not joined any institution for any reason and he may re-join the teaching profession with the same teacher's code after completing the procedure as specified by National Commission for Indian System of Medicine from time to time.

(i) Attendance of Teacher.- The teacher shall abide by the guidelines and mandates as laid down by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time and shall have at least seventy-five per cent. of attendance during the working days of every calendar year.

(j) Development and Training of Faculty Member.- Once in every three years teachers shall undergo Medical Education Technology (MET) or Quality Improvement Programme (QIP) conducted by National Commission for Indian System of Medicine or designated authority.

17. Appointment of examiner In Sowa-Rigpa.- No person other than regular or retired teacher with minimum three years of teaching experience shall be considered eligible for examinership and the maximum age-limit of examiner shall be sixty-five years.

Dr. B. L. MEHRA, Secretary I/C

[ADVT.-III/4/Exty./409/2022-23]

ANNEXURE-I

A. TENTATIVE TEMPLATE OF ACADEMIC CALENDAR FIRST PROFESSIONAL B.S.R.M.S. (18 MONTHS)

Sl. No.	DATE/PERIOD	ACADEMIC ACTIVITY
1.	First Working Day of October	Course Commencement
2.	15 working Days	Induction Programme and Transitional Curriculum
3.	Fourth Week of March	First Internal Assessment
4.	Three weeks in May	Summer Vacation
5.	Fourth Week of September	Second Internal Assessment
6.	First and second week of February	Preparatory holidays
7.	Third week of February onwards	University Examination
8.	**First Working Day of April**	**Commencement of Second Prof. B.S.R.M.S.**
Note	(1) Universities/Institutions/Colleges shall specify dates and year while preparing academic calendar of that particular batch of students. The same is to be informed to students, displayed in respective websites and followed. (2) Institutions/Colleges established in Extreme Weather Conditions may adjust the vacation as required by maintaining the stipulated hours of teaching. However, the structure of academic calendar shall not be altered.	

B. TENTATIVE TEMPLATE OF ACADEMIC CALENDAR SECOND PROFESSIONAL B.S.R.M.S. (18 MONTHS)

Sl.No.	DATE/PERIOD	ACADEMIC ACTIVITY
1.	First Working Day of April	Course Commencement
2.	Fourth Week of September	First Internal Assessment
3.	Fourth Week of March	Second Internal Assessment
4.	Three weeks in May	Summer Vacation
5.	First and Second week of August	Preparatory holidays
6.	Third week of August onwards	University Examination
7.	***First Working Day of October***	***Commencement of Third Prof. B.S.R.M.S.***
Note	(1) Universities/Institutions/Colleges shall specify dates and year while preparing academic calendar of that particular batch of students. The same is to be informed to students, displayed in respective websites and followed. (2) Institutions/Colleges established in Extreme Weather Conditions may adjust the vacation as required by maintaining the stipulated hours of teaching. However, the structure of academic calendar shall not be altered.	

C. TENTATIVE TEMPLATE OF ACADEMIC CALENDAR THIRD PROFESSIONAL B.S.R.M.S. (18 MONTHS)

Sl. No.	DATE/PERIOD	ACADEMIC ACTIVITY
1.	First Working Day of October	Course Commencement
2.	Fourth Week of March	First Internal Assessment
3.	Three weeks in May	Summer Vacation
4.	Fourth Week of September	Second Internal Assessment
5.	First and Second week of February	Preparatory holidays

6.	Third week of February onwards	University Examination
7.	***First Working Day of April***	***Commencement of Internship***
Note	(1) Universities/Institutions/Colleges shall specify dates and year while preparing academic calendar of that particular batch of students. The same is to be informed to students, displayed in respective websites and followed. (2) Institutions/Colleges established in Extreme Weather Conditions may adjust the vacation as required by maintaining the stipulated hours of teaching. However, the structure of academic calendar shall not be altered.	

ANNEXURE-II

GUIDELINES FOR ATTENDANCE MAINTENANCE

(THEORY/PRACTICAL/CLINICAL/NON-LECTURE HOURS)

Institutes/Colleges offering education in various courses in Indian System of Medicine are recommended to maintain online attendance system. However, in case physical registers are being maintained for recording attendance of various teaching/training activities, the following guidelines are to be followed, namely:-

(1) Attendance is to be marked in cumulative numbering fashion as under-

(a) In case presence is to be marked as 1, 2, 3, 4, 5, 6..... so on;

(b) In case of absence, it must be marked as 'A';

(c) Example: P P P P A P P AA P P P... may be marked as (1, 2, 3, 4, A, 5, 6, A, A, 7, 8, 9...).

(2) Avoid strictly marking 'P' for presence.

(3) Separate register for Theory and practical/clinical/non-lecture activities are to be maintained.

(4) At the end of term or course or part of syllabus or month the last number to be taken as total attendance.

(5) The total attendance after students signature to be certified by respective HOD followed by approval by Principal.

(6) In case of multiple terms, at the end of professional session all term attendance is to be summarised and percentage is to be calculated separately for **theory** and **practical/clinicals** (including all non-lecture hours).

ANNEXURE-III

FORM 1

[See regulation 14(e) (ix) (B, C, D)]

(NAME OF THE COLLEGE AND ADDRESS)

MENPA KACHUPA (BACHELOR OF SOWA-RIGPA MEDICINE AND SURGERY - B.S.R.M.S.)

DEPARTMENT OF _____

CERTIFICATE OF ATTENDANCE AND ASSESSMENT OF INTERNSHIP

Register No:

Name of the Intern :

Attendance during internship

Period of Training: From _____ To _____

(a) No. of Working Days:

(b) No. of Days Attended:

(c) No. of Days Leave availed:

(d) No of Days Absent :

Assessment of Internship

Sl.No.	Category	Marks Obtained
1.	**General**	**Maximum 10**
a.	Responsibility and Punctuality	(___) out of 2
b.	Behaviour with sub-ordinates, colleagues and superiors	(___) out of 2
c.	Documentation ability	(___) out of 2
d.	Character and conduct	(___) out of 2
e.	Aptitude for research	(___) out of 2
2.	**Clinical**	**Maximum 20**
a.	Proficiency in Fundamentals of subject	(___) out of 4
b.	Bedside manners & Rapport with patient	(___) out of 4
c.	Clinical acumen and Competency as acquired	
i.	by Performing Procedures	(___) out of 4
ii.	by Assisting in Procedures	(___) out of 4
iii.	by Observing Procedures	(___) out of 4
	Total Score Obtained	**(____) out of 30**

Performance Grade of marks

Poor <8, Below average 9-14, Average 15-21, Good 22 -25, Excellent 26 and above

Note: An intern obtained unsatisfactory score (below 15) shall be required to repeat one third of the total period of posting in the concerned department.

Signature of the Intern **Signature of the Head of the Department**

Date: **Office Seal**

Place:

ANNEXURE-IV

FORM 2

[See regulation 14(e)(ix)(C)]

(NAME OF THE COLLEGE AND ADDRESS)

MENPA KACHUPA (BACHELOR OF SOWA-RIGPA MEDICINE AND SURGERY - B.S.R.M.S.)

CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE COMPULSORY ROTARY INTERNSHIP

This is to certify that (NAME OF THE INTERN) Intern of (NAME OF THE COLLEGE AND ADDRESS), has completed his/her Compulsory Rotatory Internship at the (NAME OF THE COLLEGE AND ADDRESS/PLACE OF POSTING), for the duration of One year from _____ to _____ in the following departments;

SL.No.	Name of the Department/Institute	Period of training from (dd/mm/yyyy)	Period of training to (dd/mm/yyyy)

During the internship period the conduct of the student is ……..

Signature of the Principal/Dean/Director

Office Seal

Date:

Place:

[**Note:** If any discrepancy is found between Hindi and English version of National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standard of Undergraduate Sowa-Rigpa Education) Regulations 2022, the English version will be treated as the final]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.17 22:04:18 +05'30'